

# THE JHARKHAND GAZETTE

# EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 444

8 aashadh, 1938 (S)

Ranchi, Thursday, 29th June, 2017

#### COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

-----

NOTIFICATION 29<sup>th</sup> June, 2017

## NOTIFICATION No. 12 / 2017 State Tax (Rate)

S.O. 42 Dated 29<sup>th</sup> June, 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-State supply of services of description as specified in column (3) of the Table below from so much of the State Tax leviable thereon under sub-section (1) of section 9 of the said Act, as is in excess of the said tax calculated at the rate as specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, unless specified otherwise, subject to the relevant conditions as specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Chapter, Section, Heading, Group or	Description of Services	Rate (per cent.)	Condition
	Service Code (Tariff)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Chapter 99	Services by an entity registered under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) by way of charitable activities.	Nil	Nil
2	Chapter 99	Services by way of transfer of a going concern, as a whole or an independent part thereof.	Nil	Nil
3	Chapter 99	Pure services (excluding works contract service or other composite supplies involving supply of any goods) provided to the Central Government, State Government or Union territory or local authority or a Governmental authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution or in relation to any function entrusted to a Municipality under article 243W of the Constitution.	Nil	Nil
4	Chapter 99	Services by Central Government, State Government, Union territory, local authority or governmental authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a municipality under article 243 W of the Constitution.	Nil	Nil
5	Chapter 99	Services by a governmental authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution.	Nil	Nil
6	Chapter 99	Services by the Central Government, State Government, Union territory or local authority excluding the following services—  (a) services by the Department of Posts by way of speed post,	Nil	Nil

		express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory;  (b) services in relation to an aircraft or a vessel, inside or outside the precincts of a port or an airport;  (c) transport of goods or passengers; or  (d) any service, other than services covered under entries (a) to (c) above, provided to business entities.		
7	Chapter 99	Services provided by the Central Government, State Government, Union territory or local authority to a business entity with an aggregate turnover of up to twenty lakh rupees (ten lakh rupees in case of a special category state) in the preceding financial year.  Explanation For the purposes of this entry, it is hereby clarified that the provisions of this entry shall not be applicable to-  (a) services,-  (i) by the Department of Posts by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory;  (ii) in relation to an aircraft or a vessel, inside or outside the precincts of a port or an airport;  (iii) of transport of goods or passengers; and	Nil	Nil

		immovable property.		
8	Chapter 99	Services provided by the Central Government, State Government, Union territory or local authority to another Central Government, State Government, Union territory or local authority:	Nil	Nil
		Provided that nothing contained in this entry shall apply to services-		
		(i) by the Department of Posts by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory;		
		(ii) in relation to an aircraft or a vessel, inside or outside the precincts of a port or an airport;		
		(iii) of transport of goods or passengers.		
9	Chapter 99	Services provided by Central Government, State Government, Union territory or a local authority where the consideration for such services does not exceed five thousand rupees:	Nil	Nil
		Provided that nothing contained in this entry shall apply to-		
		(i) services by the Department of Posts by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory;		
		(ii) services in relation to an aircraft or a vessel, inside or outside the precincts of a port or an airport;		
		(iii) transport of goods or		

		passengers:		
		Provided further that in		
		case where continuous supply of		
		service, as defined in sub-section		
		(33) of section 2 of the Central		
		Goods and Services Tax Act,		
		2017, is provided by the Central		
		Government, State Government,		
		Union territory or a local		
		authority, the exemption shall		
		apply only where the consideration charged for such service does not		
		exceed five thousand rupees in a		
		financial year.		
10	Heading 9954	Services provided by way of pure	Nil	Nil
	Treating 7754	labour contracts of construction,	1111	
		erection, commissioning,		
		installation, completion, fitting		
		out, repair, maintenance,		
		renovation, or alteration of a civil		
		structure or any other original		
		works pertaining to the		
		beneficiary-led individual house		
		construction or enhancement		
		under the Housing for All		
		(Urban) Mission or Pradhan		
1.1	II 1' 0074	Mantri Awas Yojana.	NT'1	NT'1
11	Heading 9954	Services by way of pure labour contracts of construction,	Nil	Nil
		erection, commissioning, or installation of original works		
		pertaining to a single residential		
		unit otherwise than as a part of a		
		residential complex.		
12	Heading 9963	Services by way of renting of	Nil	Nil
		residential dwelling for use as		
	or	residence.		
		Tobaconeo.		
	Heading 9972			
13	Heading 9963	Services by a person by way of-	Nil	Nil
		F = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		
	or	(a) conduct of any religious		
		ceremony;		
	Heading 9972			
		(b) renting of precincts of a		
	or	religious place meant for general		
		public, owned or managed by an		
	Heading 9995	entity registered as a charitable or		
	Ticuania 7773	religious trust under section		
		12AA of the Income-tax Act,		

	or	1961 (hereinafter referred to as		
		the Income-tax Act) or a trust or		
	any other	an institution registered under sub		
	1	clause (v) of clause (23C) of		
	Heading of	section 10 of the Income-tax Act		
	Section 9	or a body or an authority covered		
		under clause (23BBA) of section		
		10 of the said Income-tax Act:		
		To of the said meome tax rice.		
		Provided that nothing contained		
		in entry (b) of this exemption		
		shall apply to,-		
		Shan apply to,		
		(i) renting of rooms where		
		charges are one thousand rupees		
		or more per day;		
		of more per day,		
		(ii) renting of premises,		
		community halls,		
		kalyanmandapam or open area,		
		and the like where charges are ten		
		thousand rupees or more per day;		
		mousula rapees of more per day,		
		(iii) renting of shops or other		
		spaces for business or commerce		
		where charges are ten thousand		
		rupees or more per month.		
14	Heading 9963	Services by a hotel, inn, guest	Nil	Nil
1.	liteaching 5500	house, club or campsite, by		1 111
		whatever name called, for		
		residential or lodging purposes,		
		having declared tariff of a unit of		
		accommodation below one		
		thousand rupees per day or		
		equivalent.		
15	Heading 9964	Transport of passengers, with or	Nil	Nil
		without accompanied belongings,		
		by –		
		(a) air, embarking from or		
		terminating in an airport located		
		in the state of Arunachal Pradesh,		
		Assam, Manipur, Meghalaya,		
		Mizoram, Nagaland, Sikkim, or		
		Tripura or at Bagdogra located in		
		West Bengal;		
	1			
1				
		(b) non-airconditioned contract		
		carriage other than radio taxi, for		

		tour, charter or hire; or		
		(c) stage carriage other than air-		
1.0	11 11 0001	conditioned stage carriage.	27'1	271
16	Heading 9964	Services provided to the Central Government, by way of transport of passengers with or without accompanied belongings, by air, embarking from or terminating at a regional connectivity scheme airport, against consideration in the form of viability gap funding:	Nil	Nil
		Provided that nothing contained in this entry shall apply on or after the expiry of a period of one year from the date of commencement of operations of the regional connectivity scheme airport as notified by the Ministry of Civil Aviation.		
17	Heading 9964	Service of transportation of passengers, with or without accompanied belongings, by—  (a) railways in a class other than—  (i) first class; or  (ii) an air-conditioned coach;  (b) metro, monorail or tramway;  (c) inland waterways;  (d) public transport, other than predominantly for tourism purpose, in a vessel between places located in India; and	Nil	Nil
		(e) metered cabs or auto rickshaws (including e-rickshaws).		
18	Heading 9965	Services by way of transportation of goods-  (a) by road except the services of—	Nil	Nil
		(i) a goods transportation		

		agency;		
		(ii) a courier agency;		
		(h) has inlend assets masses		
19	Heading 9965	(b) by inland waterways.  Services by way of transportation of goods by an aircraft from a place outside India upto the customs station of clearance in India.	Nil	Nil
20	Heading 9965	Services by way of transportation by rail or a vessel from one place in India to another of the following goods —  (a) relief materials meant for victims of natural or man-made disasters, calamities, accidents or mishap;  (b) defence or military equipments;  (c) newspaper or magazines registered with the Registrar of Newspapers;  (d) railway equipments or materials;  (e) agricultural produce;  (f) milk, salt and food grain including flours, pulses and rice;	Nil	Nil
		including flours, pulses and rice; and  (g) organic manure.		
21	Heading 9965 or	Services provided by a goods transport agency, by way of transport in a goods carriage of -	Nil	Nil
	Heading 9967	(a) agricultural produce;  (b) goods, where consideration charged for the transportation of goods on a consignment transported in a single carriage does not exceed one thousand five hundred rupees;		
		(c) goods, where consideration charged for transportation of all		

		such goods for a single consignee		
		does not exceed rupees seven hundred and fifty;		
		(d) milk, salt and food grain including flour, pulses and rice;		
		(e) organic manure;		
		(f) newspaper or magazines registered with the Registrar of Newspapers;		
		(g) relief materials meant for victims of natural or man-made disasters, calamities, accidents or mishap; or		
		(h) defence or military equipments.		
22	Heading 9966	Services by way of giving on hire  –	Nil	Nil
	or	(a) to a state transport		
	Heading 9973	undertaking, a motor vehicle meant to carry more than twelve passengers; or		
		(b) to a goods transport agency, a means of transportation of goods.		
23	Heading 9967	Service by way of access to a road or a bridge on payment of toll charges.	Nil	Nil
24	Heading 9967	Services by way of loading, unloading, packing, storage or	Nil	Nil
	or	warehousing of rice.		
	Heading 9985			
25	Heading 9969	Transmission or distribution of electricity by an electricity transmission or distribution utility.	Nil	Nil
26	Heading 9971	Services by the Reserve Bank of India.	Nil	Nil
27	Heading 9971	Services by way of—	Nil	Nil
		(a) extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount (other		

		<u></u>		T
		than interest involved in credit card services);		
		(b) inter se sale or purchase of		
		foreign currency amongst banks or authorised dealers of foreign		
		exchange or amongst banks and		
		such dealers.		
28	Heading 9971	Services of life insurance	Nil	Nil
		business provided by way of		
	or	annuity under the National		
		Pension System regulated by the		
	Heading 9991	Pension Fund Regulatory and Development Authority of India		
		under the Pension Fund		
		Regulatory and Development		
		Authority Act, 2013 (23 of 2013).		
29	Heading 9971	Services of life insurance	Nil	Nil
	-	business provided or agreed to be		
	or	provided by the Army, Naval and		
		Air Force Group Insurance Funds		
	Heading 9991	to members of the Army, Navy		
		and Air Force, respectively, under the Group Insurance Schemes of		
		the Central Government.		
30	Heading 9971	Services by the Employees' State	Nil	Nil
		Insurance Corporation to persons		
	or	governed under the Employees'		
		State Insurance Act, 1948 (34 of		
	Heading 9991	1948).		
31	Heading 9971	Services provided by the	Nil	Nil
	-	Employees Provident Fund		
		Organisation to the persons		
		governed under the Employees		
		Provident Funds and the		
		Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952).		
32	Heading 9971	Services provided by the	Nil	Nil
		Insurance Regulatory and		_ '
		Development Authority of India		
		to insurers under the Insurance		
		Regulatory and Development		
		Authority of India Act, 1999 (41		
22	Handing 0071	of 1999).  Services provided by the	Nii	Nii
33	Heading 9971	Services provided by the Securities and Exchange Board of	Nil	Nil
		India set up under the Securities		
		<u> </u>		
		and Exchange Board of India Act.		
		and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) by way of		

		promote the development of, and to regulate, the securities market.		
34	Heading 9971	Services by an acquiring bank, to any person in relation to settlement of an amount upto two thousand rupees in a single transaction transacted through credit card, debit card, charge card or other payment card service.	Nil	Nil
		Explanation.— For the purposes of this entry, "acquiring bank" means any banking company, financial institution including non-banking financial company or any other person, who makes the payment to any person who accepts such card.		
35	Heading 9971 or	Services of general insurance business provided under following schemes –	Nil	Nil
	Heading 9991	(a) Hut Insurance Scheme;		
		(b) Cattle Insurance under Swarnajaynti Gram Swarozgar Yojna (earlier known as Integrated Rural Development Programme);		
		(c) Scheme for Insurance of Tribals;		
		(d) Janata Personal Accident Policy and Gramin Accident Policy;		
		(e) Group Personal Accident Policy for Self-Employed Women;		
		(f) Agricultural Pumpset and Failed Well Insurance;		Nil
		(g) premia collected on export credit insurance;		
		(h) Weather Based Crop Insurance Scheme or the Modified National Agricultural Insurance Scheme, approved by		

		the Government of India and implemented by the Ministry of Agriculture;		
		(i) Jan Arogya Bima Policy;		
		(j) National Agricultural Insurance Scheme (Rashtriya Krishi Bima Yojana);		
		(k) Pilot Scheme on Seed Crop Insurance;		
		(l) Central Sector Scheme on Cattle Insurance;		
		(m) Universal Health Insurance Scheme;		
		(n) Rashtriya Swasthya Bima Yojana;		
		(o) Coconut Palm Insurance Scheme;		
		(p) Pradhan Mantri Suraksha BimaYojna;		
		(q) Niramaya Health Insurance Scheme implemented by the Trust constituted under the provisions of the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999).		
36	Heading 9971 or	Services of life insurance business provided under following schemes-	Nil	Nil
	Heading 9991	(a) Janashree Bima Yojana;		
		(b) Aam Aadmi Bima Yojana;		
		(c) Life micro-insurance product as approved by the Insurance Regulatory and Development Authority, having maximum amount of cover of fifty thousand rupees;		

		(d) Varishtha Pension BimaYojana;		
		(e) Pradhan Mantri Jeevan JyotiBimaYojana;		
		(f) Pradhan Mantri Jan DhanYogana;		
		(g) Pradhan Mantri Vaya Vandan Yojana.		
37	Heading 9971	Services by way of collection of contribution under the Atal	Nil	Nil
	or	Pension Yojana.		
	Heading 9991			
38	Heading 9971	Services by way of collection of	Nil	Nil
	or	contribution under any pension scheme of the State Governments.		
	Heading 9991			
39	Heading 9971	Services by the following persons	Nil	Nil
		in respective capacities –		
	or	(a) business facilitator or a		
	Heading 9985	business correspondent to a banking company with respect to accounts in its rural area branch;		
		(b) any person as an intermediary to a business facilitator or a		
		business correspondent with respect to services mentioned in entry (a); or		
		(c) business facilitator or a business correspondent to an insurance company in a rural area.		
40	Heading 9971	Services provided to the Central	Nil	Nil
	or	Government, State Government, Union		
	OI .	territory under any insurance scheme for which total premium is paid by the		
	Heading 9991	Central Government, State Government, Union territory.		

41	Heading 9972	One time upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name) leviable in respect of the service, by way of granting long term (thirty years, or more) lease of industrial plots, provided by the State Government Industrial Development Corporations or Undertakings to industrial units.	Nil	Nil
42	Heading 9973  or  Heading 9991	Services provided by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of allowing a business entity to operate as a telecom service provider or use radio frequency spectrum during the period prior to the 1 <sup>st</sup> April, 2016, on payment of licence fee or spectrum user charges, as the case may be.	Nil	Nil
43	Heading 9973	Services of leasing of assets (rolling stock assets including wagons, coaches, locos) by the Indian Railways Finance Corporation to Indian Railways.	Nil	Nil
44	Heading 9981	Services provided by an incubatee up to a total turnover of fifty lakh rupees in a financial year subject to the following conditions, namely:-  (a) the total turnover had not exceeded fifty lakh rupees during the preceding financial year; and  (b) a period of three years has not elapsed from the date of entering into an agreement as an incubatee.	Nil	Nil
45	Heading 9982	Services provided by-	Nil	Nil
	or	(a) an arbitral tribunal to –		
	Heading 9991	<ul><li>(i) any person other than a business entity; or</li><li>(ii) a business entity with an aggregate turnover up to twenty lakh rupees (ten lakh rupees in the case of special</li></ul>		

		category states) in the preceding financial year;		
		(b) a partnership firm of advocates or an individual as an advocate other than a senior advocate, by way of legal services to-		
		(i) an advocate or partnership firm of advocates providing legal services;		
		(ii) any person other than a business entity; or		
		(iii) a business entity with an aggregate turnover up to twenty lakh rupees (ten lakh rupees in thecase of special category states) in the preceding financial year;		
		(c) a senior advocate by way of legal services to-		
		(i) any person other than a business entity; or		
		(ii) a business entity with an aggregate turnover up to twenty lakh rupees (ten lakh rupees in the case of special category states) in the preceding financial year.		
46	Heading 9983	Services by a veterinary clinic in relation to health care of animals or birds.	Nil	Nil
47	Heading 9983 or	Services provided by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of-	Nil	Nil
	Heading 9991	(a) registration required under any law for the time being in force;		
		(b) testing, calibration, safety check or certification relating to protection or safety of workers, consumers or public at large,		

		including fire license, required under any law for the time being in force.		
48	Heading 9983  or  any other Heading of Chapter 99	Taxable services, provided or to be provided, by a Technology Business Incubator or a Science and Technology Entrepreneurship Park recognised by the National Science and Technology Entrepreneurship Development Board of the Department of Science and Technology, Government of India or bioincubators recognised by the Biotechnology Industry Research Assistance Council, under the Department of Biotechnology, Government of India.	Nil	Nil
49	Heading 9984	Services by way of collecting or providing news by an independent journalist, Press Trust of India or United News of India.	Nil	Nil
50	Heading 9984	Services of public libraries by way of lending of books, publications or any other knowledge-enhancing content or material.	Nil	Nil
51	Heading 9984	Services provided by the Goods and Services Tax Network to the Central Government or State Governments or Union territories for implementation of Goods and Services Tax.	Nil	Nil
52	Heading 9985	Services by an organiser to any person in respect of a business exhibition held outside India.	Nil	Nil
53	Heading 9985	Services by way of sponsorship of sporting events organised -  (a) by a national sports federation, or its affiliated federations, where the participating teams or individuals represent any district, State, zone or Country;  (b) by Association of Indian Universities, Inter-University Sports Board, School Games Federation of India, All India Sports Council for the Deaf,	Nil	Nil

	т	_	1	
		Paralympic Committee of India or Special Olympics Bharat;		
		(c) by the Central Civil Services Cultural and Sports Board;		
		(d) as part of national games, by the Indian Olympic Association; or		
		(e) under the Panchayat Yuva Kreeda Aur Khel Abhiyaan Scheme.		
54	Heading 9986	Services relating to cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products or agricultural produce by way of—	Nil	Nil
		(a) agricultural operations directly related to production of any agricultural produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection or testing;		
		(b) supply of farm labour;  (c) processes carried out at an agricultural farm including tending, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, sun drying, fumigating, curing, sorting, grading, cooling or bulk packaging and such like operations which do not alter the essential characteristics of agricultural produce but make it only marketable for the primary market;		
		(d) renting or leasing of agro machinery or vacant land with or without a structure incidental to its use;		
		(e) loading, unloading, packing, storage or warehousing of agricultural produce;		

	T		1	
		(f) agricultural extension services;		
		(g) services by any Agricultural		
		Produce Marketing Committee or		
		Board or services provided by a		
		commission agent for sale or		
		purchase of agricultural produce.		
55	Heading 9986	Carrying out an intermediate	Nil	Nil
	8	production process as job work in		
		relation to cultivation of plants		
		and rearing of all life forms of		
		animals, except the rearing of		
		horses, for food, fibre, fuel, raw		
		material or other similar products		
		or agricultural produce.		
56	Heading 9988	Services by way of slaughtering	Nil	Nil
		of animals.		
57	Heading	Services by way of pre-	Nil	Nil
	9988	conditioning, pre-cooling,		
		ripening, waxing, retail packing,		
	or	labelling of fruits and vegetables		
	_	which do not change or alter the		
	any other	essential characteristics of the		
	Heading of	said fruits or vegetables.		
	Section 8 and			
	Section 9			
<b>50</b>	H 1, 0000		NT'1	) T'1
58	Heading 9988	Services provided by the National	Nil	Nil
		Centre for Cold Chain		
	or	Development under the Ministry		
		of Agriculture, Cooperation and		
	Heading 9992	Farmer's Welfare by way of cold chain knowledge dissemination.		
		chain knowledge dissemination.		
59	Heading 9999	Services by a foreign diplomatic	Nil	Nil
		mission located in India.		<u> </u>
60	Heading 9991	Services by a specified	Nil	Nil
		organisation in respect of a		
		religious pilgrimage facilitated by		
		the Ministry of External Affairs,		
		the Government of India, under		
		bilateral arrangement.		1
61	Heading 9991	Services provided by the Central	Nil	Nil
		Government, State Government,		
		Union territory or local authority		
		by way of issuance of passport,		
		visa, driving licence, birth certificate or death certificate.		
		r centucate or death certificate	1	i e

62	Heading 9991	Services provided by the Central	Nil	Nil
		Government, State Government, Union territory or local authority		
	or	by way of tolerating non-		
	Heading 9997	performance of a contract for		
		which consideration in the form of fines or liquidated damages is		
		payable to the Central		
		Government, State Government,		
		Union territory or local authority under such contract.		
63	Heading 9991	Services provided by the Central	Nil	Nil
	Treating 3331	Government, State Government,		
		Union territory or local authority		
		by way of assignment of right to use natural resources to an		
		individual farmer for cultivation		
		of plants and rearing of all life		
		forms of animals, except the		
		rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar		
		products.		
64	Heading 9991	Services provided by the Central	Nil	Nil
		Government, State Government,		
	or	Union territory or local authority by way of assignment of right to		
	Heading 9973	use any natural resource where		
	Treating 3373	such right to use was assigned by		
		the Central Government, State Government, Union territory or		
		local authority before the 1 <sup>st</sup>		
		April, 2016:		
		Provided that the		
		exemption shall apply only to tax		
		payable on one time charge		
		payable, in full upfront or in installments, for assignment of		
L		right to use such natural resource.		
65	Heading 9991	Services provided by the Central	Nil	Nil
		Government, State Government, Union territory by way of		
		deputing officers after office		
		hours or on holidays for		
		inspection or container stuffing or		
		such other duties in relation to import export cargo on payment		
		of Merchant Overtime charges.		
66	Heading 9992	Services provided -	Nil	Nil
		(a) by an educational institution		
		(a) of an oddedional institution		

		to its students, faculty and staff;		
		(b) to an educational institution, by way of,-		
		(i) transportation of students, faculty and staff;		
		(ii) catering, including any mid-day meals scheme sponsored by the Central Government, State Government or Union territory;		
		(iii) security or cleaning or house-keeping services performed in such educational institution;		
		(iv) services relating to admission to, or conduct of examination by, such institution; upto higher secondary:		
		Provided that nothing contained in entry (b) shall apply to an educational institution other than an institution providing services by way of pre-school education and education up to higher secondary school or equivalent.		
67	Heading 9992	Services provided by the Indian Institutes of Management, as per the guidelines of the Central Government, to their students, by way of the following educational programmes, except Executive Development Programme: -	Nil	Nil
		(a) two year full time Post Graduate Programmes in Management for the Post Graduate Diploma in Management, to which admissions are made on the basis of Common Admission Test (CAT) conducted by the Indian Institute of Management;		
		(b) fellow programme in		

		Management;		
		(c) five year integrated programme in Management.		
68	Heading 9992	Services provided to a recognised sports body by-	Nil	Nil
	or	(a) an individual as a player,		
	Heading 9996	referee, umpire, coach or team manager for participation in a sporting event organised by a recognized sports body;		
		(b) another recognised sports body.		
69	Heading 9992	Any services provided by, _	Nil	Nil
	or Heading 9983 or	(a) the National Skill Development Corporation set up by the Government of India;		
	Heading 9991	(b) a Sector Skill Council approved by the National Skill Development Corporation;		
		(c) an assessment agency approved by the Sector Skill Council or the National Skill Development Corporation;		
		(d) a training partner approved by the National Skill Development Corporation or the Sector Skill Council,		
		in relation to-		
		(i) the National Skill Development Programme implemented by the National Skill Development Corporation; or		
		(ii) a vocational skill development course under the National Skill Certification and Monetary Reward Scheme; or		
		(iii) any other Scheme		

		implemented by the National Skill Development Corporation.		
70	Heading 9983 or Heading 9985 or Heading 9992	Services of assessing bodies empanelled centrally by the Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship by way of assessments under the Skill Development Initiative Scheme.	Nil	Nil
71	Heading 9992	Services provided by training providers (Project	Nil	Nil
		implementation agencies) under Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana implemented by the Ministry of Rural Development, Government of India by way of offering skill or vocational training courses certified by the National Council for Vocational Training.		
72	Heading 9992	Services provided to the Central Government, State Government, Union territory administration under any training programme for which total expenditure is borne by the Central Government, State Government, Union territory administration.	Nil	Nil
73	Heading 9993	Services provided by the cord blood banks by way of preservation of stem cells or any other service in relation to such preservation.	Nil	Nil
74	Heading 9993	(a) health care services by a clinical establishment, an authorised medical practitioner or para-medics;  (b) services provided by way of transportation of a patient in an ambulance, other than those	Nil	Nil

75	Heading 9994	Services provided by operators of the common bio-medical waste treatment	Nil	Nil
		facility to a clinical establishment by		
		way of treatment or disposal of bio- medical waste or the processes		
		medical waste or the processes incidental thereto.		
76	Heading 9994	Services by way of public conveniences such as provision of facilities of bathroom, washrooms, lavatories, urinal or	Nil	Nil
77	Heading 9995	service by an unincorporated body or a non- profit entity registered under any law for the time being in force, to its own members by way of reimbursement of charges or share of contribution —  (a) as a trade union;  (b) for the provision of carrying out any activity which is exempt from the levy of Goods and service Tax; or  (c) up to an amount of five thousand rupees per month per	Nil	Nil
		member for sourcing of goods or services from a third person for the common use of its members in a housing society or a residential complex.		
78	Heading 9996	Services by an artist by way of a performance in folk or classical art forms of-  (a) music, or  (b) dance, or  (c) theatre,  if the consideration charged for such performance is not more than one lakh and fifty thousand rupees:  Provided that the exemption shall not apply to service provided by such artist as	Nil	Nil

		a brand ambassador.		
79	Heading 9996	Services by way of admission to a museum, national park, wildlife sanctuary, tiger reserve or zoo.	Nil	Nil
80	Heading 9996	Services by way of training or coaching in recreational activities relating to-  (a) arts or culture, or	Nil	Nil
		(b) sports by charitable entities registered under section 12AA of the Income-tax Act.		
81	Heading 9996	Services by way of right to admission to-  (a) circus, dance, or theatrical performance including drama or ballet;  (b) award function, concert, pageant, musical performance or	Nil	Nil
		any sporting event other than a recognised sporting event;  (c) recognised sporting event, where the consideration for admission is not more than Rs 250 per person as referred to in (a), (b) and (c) above.		

- 2. Definitions. For the purposes of this notification, unless the context otherwise requires, -
- (a) "advertisement" means any form of presentation for promotion of, or bringing awareness about, any event, idea, immovable property, person, service, goods or actionable claim through newspaper, television, radio or any other means but does not include any presentation made in person;
- (b) "advocate" has the same meaning as assigned to it in clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);
- (c) "agricultural extension" means application of scientific research and knowledge to agricultural practices through farmer education or training;
- (d) "agricultural produce" means any produce out of cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products, on which either no further processing is done or such processing is done as is usually done by a cultivator or producer which does not alter its essential characteristics but makes it marketable for primary market;
- (e) "Agricultural Produce Marketing Committee or Board" means any committee or board constituted under a State law for the time being in force for the purpose of regulating the marketing of agricultural produce;

- (f) "aircraft" has the same meaning as assigned to it in clause (1) of section 2 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934);
- (g) "airport" has the same meaning as assigned to it in clause (b) of section 2 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994.);
- (h) "approved vocational education course" means, -
  - (i) a course run by an industrial training institute or an industrial training centre affiliated to the National Council for Vocational Training or State Council for Vocational Training offering courses in designated trades notified under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961); or
  - (ii) a Modular Employable Skill Course, approved by the National Council of Vocational Training, run by a person registered with the Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship;
- (i) "arbitral tribunal" has the same meaning as assigned to it in clause (d) of section 2 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996);
- (j) "authorised dealer of foreign exchange" shall have the same meaning assigned to "Authorised person" in clause (c) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);
- (k) "authorised medical practitioner" means a medical practitioner registered with any of the councils of the recognised system of medicines established or recognised by law in India and includes a medical professional having the requisite qualification to practice in any recognised system of medicines in India as per any law for the time being in force;
- (l) "banking company" has the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 45A of the Reserve Bank of India Act,1934(2 of 1934);
- (m) "brand ambassador" means a person engaged for promotion or marketing of a brand of goods, service, property or actionable claim, event or endorsement of name, including a trade name, logo or house mark of any person;
- (n) "business entity" means any person carrying out business;
- (o) "business facilitator or business correspondent" means an intermediary appointed under the business facilitator model or the business correspondent model by a banking company or an insurance company under the guidelines issued by the Reserve Bank of India;
- (p) "Central Electricity Authority" means the authority constituted under section 3 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948);
- (q) "Central Transmission Utility" shall have the same meaning as assigned to it in clause (10) of section 2 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (r) "charitable activities" means activities relating to -

- (i) public health by way of,-
  - (A) care or counseling of
    - (I) terminally ill persons or persons with severe physical or mental disability;
    - (II) persons afflicted with HIV or AIDS;
    - (III) persons addicted to a dependence-forming substance such as narcotics drugs or alcohol; or
  - (B) public awareness of preventive health, family planning or prevention of HIV infection;
- (ii) advancement of religion, spirituality or yoga;
- (iii) advancement of educational programmes or skill development relating to,-
  - (A) abandoned, orphaned or homeless children;
  - (B) physically or mentally abused and traumatized persons;
  - (C) prisoners; or
  - (D) persons over the age of 65 years residing in a rural area;
- (iv) preservation of environment including watershed, forests and wildlife;
- (s) "clinical establishment" means a hospital, nursing home, clinic, sanatorium or any other institution by, whatever name called, that offers services or facilities requiring diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India, or a place established as an independent entity or a part of an establishment to carry out diagnostic or investigative services of diseases;
- (t) "contract carriage" has the same meaning as assigned to it in clause (7) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);
- (u)"courier agency" means any person engaged in the door-to-door transportation of time-sensitive documents, goods or articles utilising the services of a person, either directly or indirectly, to carry or accompany such documents, goods or articles;
- (v) "Customs station" shall have the same meaning as assigned to it in clause (13) of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
- (w) "declared tariff" includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air-conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit;
- (x) "distributor or selling agent" means an individual or a firm or a body corporate or other legal entity under law so appointed by the Organising State through an agreement to market and sell lotteries on behalf of the Organising State;
- (y) "educational institution" means an institution providing services by way of,-
  - (i) pre-school education and education up to higher secondary school or equivalent;

- (ii) education as a part of a curriculum for obtaining a qualification recognised by any law for the time being in force;
- (iii) education as a part of an approved vocational education course;
- (z) "electricity transmission or distribution utility" means the Central Electricity Authority; a State Electricity Board; the Central Transmission Utility or a State Transmission Utility notified under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003); or a distribution or transmission licensee under the said Act, or any other entity entrusted with such function by the Central Government or, as the case may be, the State Government;
- (za) "e-rickshaw" means a special purpose battery powered vehicle of power not exceeding 4000 watts, having three wheels for carrying goods or passengers, as the case may be, for hire or reward, manufactured, constructed or adapted, equipped and maintained in accordance with such specifications, as may be prescribed in this behalf:
- (zb) "general insurance business" has the same meaning as assigned to it in clause (g) of section 3 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972);
- (zc) "general public" means the body of people at large sufficiently defined by some common quality of public or impersonal nature;
- (zd) "goods carriage" has the same meaning as assigned to it in clause (14) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);
- (ze) "goods transport agency" means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called;
- (zf) "governmental authority" has the same meaning as assigned to it in the *Explanation* to clause (16) of section 2 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017);
- (zg) "health care services" means any service by way of diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India and includes services by way of transportation of the patient to and from a clinical establishment, but does not include hair transplant or cosmetic or plastic surgery, except when undertaken to restore or to reconstruct anatomy or functions of body affected due to congenital defects, developmental abnormalities, injury or trauma;
- (zh) "incubatee" means an entrepreneur located within the premises of a Technology Business Incubator or Science and Technology Entrepreneurship Park recognised by the National Science and Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB) of the Department of Science and Technology, Government of India and who has entered into an agreement with the Technology Business Incubator or the Science and Technology Entrepreneurship Park to enable himself to develop and produce hi-tech and innovative products;
- (zi) "inland waterway" means national waterways as defined in clause (h) of section 2 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985) or other waterway on any inland water, as defined in clause (b) of section 2 of the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917);
- (zj) "insurance company" means a company carrying on life insurance business or general insurance business;

- (zk) "interest" means interest payable in any manner in respect of any moneys borrowed or debt incurred (including a deposit, claim or other similar right or obligation) but does not include any service fee or other charge in respect of the moneys borrowed or debt incurred or in respect of any credit facility which has not been utilised;
- (zl) "intermediary" has the same meaning as assigned to it in sub-section (13) of section 2 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017;
- (zm) "legal service" means any service provided in relation to advice, consultancy or assistance in any branch of law, in any manner and includes representational services before any court, tribunal or authority;
- (zn) "life insurance business" has the same meaning as assigned to it in clause (11) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- (zo) "life micro-insurance product" shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of regulation 2 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Micro-insurance) Regulations, 2005;
- (zp) "metered cab" means any contract carriage on which an automatic device, of the type and make approved under the relevant rules by the State Transport Authority, is fitted which indicates reading of the fare chargeable at any moment and that is charged accordingly under the conditions of its permit issued under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made thereunder (but does not include radio taxi);
- (zq)"national park" has the same meaning as assigned to it in clause (21) of the section 2 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);
- (zr) "online information and database access or retrieval services" shall have the same meaning as assigned to it in clause (17) of the section 2of the Integrated goods and Services Tax Act,2017(13 of 2017);
- (zs) "original works" means- all new constructions;
  - (i) all types of additions and alterations to abandoned or damaged structures on land that are required to make them workable;
  - (ii) erection, commissioning or installation of plant, machinery or equipment or structures, whether prefabricated or otherwise:
- (zt) "print media" means,—
  - (i) 'book' as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867), but does not include business directories, yellow pages and trade catalogues which are primarily meant for commercial purposes;
  - (ii) 'newspaper' as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867);
- (zu) "port" has the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) or in clause (4) of section 3 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908);

- (zv) "radio taxi" means a taxi including a radio cab, by whatever name called, which is in two-way radio communication with a central control office and is enabled for tracking using the Global Positioning System or General Packet Radio Service:
- (zw) "recognised sporting event" means any sporting event,-
  - (i) organised by a recognised sports body where the participating team or individual represent any district, state, zone or country;
  - (ii) organised -
    - (A) by a national sports federation, or its affiliated federations, where the participating teams or individuals represent any district, state or zone;
    - (B) by Association of Indian Universities, Inter-University Sports Board, School Games Federation of India, All India Sports Council for the Deaf, Paralympic Committee of India or Special Olympics Bharat;
    - (C) by Central Civil Services Cultural and Sports Board;
    - (D) as part of national games, by Indian Olympic Association; or
    - (E) under Panchayat Yuva Kreeda Aur Khel Abhiyaan (PYKKA) Scheme;
- (zx) "recognised sports body" means
  - (i) the Indian Olympic Association;
  - (ii) Sports Authority of India;
  - (iii) a national sports federation recognised by the Ministry of Sports and Youth Affairs of the Central Government, and its affiliate federations;
  - (iv) national sports promotion organisations recognised by the Ministry of Sports and Youth Affairs of the Central Government;
  - (v) the International Olympic Association or a federation recognised by the International Olympic Association; or
  - (vi) a federation or a body which regulates a sport at international level and its affiliated federations or bodies regulating a sport in India;
- (zy) "religious place" means a place which is primarily meant for conduct of prayers or worship pertaining to a religion, meditation, or spirituality;
- (zz) "renting in relation to immovable property" means allowing, permitting or granting access, entry, occupation, use or any such facility, wholly or partly, in an immovable property, with or without the transfer of possession or control of the said immovable property and includes letting, leasing, licensing or other similar arrangements in respect of immovable property;
- (zza) "Reserve Bank of India" means the bank established under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

- (zzb) "residential complex" means any complex comprising of a building or buildings, having more than one single residential unit;
- (zzc) "rural area" means the area comprised in a village as defined in land revenue records, excluding
  - the area under any municipal committee, municipal corporation, town area committee, cantonment board or notified area committee; or any area that may be notified as an urban area by the Central Government or a State Government;
- (zzd) "senior advocate" has the same meaning as assigned to it in section 16 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);
- (zze) "single residential unit" means a self-contained residential unit which is designed for use, wholly or principally, for residential purposes for one family;
- (zzf) "special category States" shall mean the States as specified in sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution,
- (zzg) "specified organisation" shall mean,-
- (i) Kumaon Mandal Vikas Nigam Limited, a Government of Uttarakhand Undertaking; or
  - (ii) 'Committee' or 'State Committee' as defined in section 2 of the Haj Committee Act, 2002 (35 of 2002);
- (zzh) "stage carriage" shall have the same meaning as assigned to it in clause (40) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);
- (zzi) "State Electricity Board" means the Board constituted under section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948);
- (zzj) "State Transmission Utility" shall have the same meaning as assigned to it in clause (67) of section 2 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (zzk) "state transport undertaking" has the same meaning as assigned to it in clause (42) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);
- (zzl) "tiger reserve" has the same meaning as assigned to it in clause (e) of section 38K of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);
- (zzm) "tour operator" means any person engaged in the business of planning, scheduling, organizing, arranging tours (which may include arrangements for accommodation, sightseeing or other similar services) by any mode of transport, and includes any person engaged in the business of operating tours;
- (zzn) "trade union" has the same meaning as assigned to it in clause (h) of section 2 of the Trade Unions Act,1926(16 of 1926);
- (zzo) "vessel" has the same meaning as assigned to it in clause (z) of section 2 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963);

(zzp) "wildlife sanctuary" means a sanctuary as defined in the clause (26) of the section 2 of The Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);

(zzq) "zoo" has the same meaning as assigned to it in the clause (39) of the section 2 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

- 3. Explanation.- For the purposes of this notification,-
  - (i) Reference to "Chapter", "Section" or "Heading", wherever they occur, unless the context otherwise requires, shall mean respectively as "Chapter, "Section" and "Heading" in the scheme of classification of services.
  - (ii) Chapter, Section, Heading, Group, or Service Code mentioned in Column (2) of the Table are only indicative.
- 4. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017] By the order of the Governor of Jharkhand,

**K.K. Khandelwal,** Principal Secretary-cum-Commissioner.

#### वाणिज्य-कर विभाग

-----

अधिसूचना 29 जून, 2017

## अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर)

एस॰ ओ॰ 42 दिनांक 29 जून, 2017--राज्य सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन की सेवाओं की राज्य के भीतर पूर्ति को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (5) में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने झारखण्ड माल और सेवा कर से छूट प्रदान करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित उक्त कर की रकम से अधिक है, अर्थात:--

#### सारणी

क्र	अध्याय,	सेवा का वर्णन	दर	शर्त
म	खंड,		(प्रतिश	
सं0	शीर्ष,		( (ਰ)	
	समूह			
	और			
	सेवा			
	कोड			
	(टैरिफ)			
(1	(2)	(3)	(4)	(5)
)				
1.	अध्याय ९९	आय-कर अधिनियम, 1961 (1961	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		का 43) की धारा 12कक के अधीन		

		रजिस्ट्रीकृत किसी निकाय द्वारा पूर्त कार्यकलापों के माध्यम से सेवाएं ।		
			~~~~	~~~
2.		किसी चालू समुत्थान के, पूर्ण या	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	99	उसके किसी स्वतंत्र भाग के अंतरण		
		के द्वारा सेवाएं ।		
3.	अध्याय	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	99	राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण या		
		सरकारी प्राधिकरण द्वारा संविधान के		
		अनुच्छेद २४३छ के अधीन किसी		
		पंचायत को सौंपे गए किसी कृत्य के		
		संबंध में कोई कार्यकलाप या संविधान		
		के अनुच्छेद 243ब के अधीन किसी		
		नगरपालिका को सौंपे गए कृत्यों के		
		संबंध में कोई कार्यकलाप के माध्यम		
		से केवल मात्र सेवा (कार्य संविदा सेवा		
		या अन्य समिश्र पूर्तियां, जिसमें		
		किन्हीं मालों की पूर्ति अंतर्वलित है		
		को छोड़कर) ।		
4.	शीर्ष 99	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		राज्यक्षेत्र प्रशासन, स्थानीय		
		प्राधिकरण या शासकीय प्राधिकरण		
		द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243ब		
		के अधीन किसी नगरपालिका को		
		सौंपे गए किसी कृत्य के संबंध में		
		किसी क्रियाकलाप के माध्यम से		
		उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं ।		
5.	शीर्ष 99	सरकारी प्राधिकरण द्वारा संविधान	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		के अनुच्छेद 243छ के अधीन किसी		
		पंचायत को सौंपे गए किसी कृत्य के		

		संबंध में किसी कार्यकलाप के		
		माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं		
		1		
6.	शीर्ष 99	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ	<u>ক্</u> ড	কুछ
		राज्यक्षेत्र या किसी स्थानीय		नहीं
		प्राधिकरण द्वारा सेवाएं, निम्नलिखित		
		सेवाओं को अपवर्जित करते हुए–		
		(i) डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट, एक्सप्रैस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं ;		
		(ii) किसी वायुयान या किसी जलयान के संबंध में, किसी पत्तन या किसी वायुपत्तन के परिसरों से भीतर या बाहर सेवाएं ;		
		(iii) माल या यात्रियों का परिवहन ; या		
		(iv) किंन्ही कारबार अस्तित्वों को उपलब्ध कराई जाने वाली कोई सेवा, जो ऊपर खंड (i) से (iii) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं से भिन्न है ।		
7.	शीर्ष 99	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		राज्यक्षेत्र प्रशासन, स्थानीय		
		प्राधिकरण द्वारा किसी ऐसे कारबार		
		अस्तित्व को उपलब्ध कराई जाने		
		वाली सेवाएं, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय		
		वर्ष में सकल आवर्त बीस लाख रुपए		
		(किसी विशेष प्रवर्ग राज्य की दशा में		
		दस लाख रुपए) तक था ।		
		स्पष्टीकरण इस प्रविष्टि के प्रयोजनों		
		के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि		
		इस प्रविष्टि के उपबंध निम्नलिखित		
		को लागू नहीं होंगे-		

		(क) सेवाएं,		
		(i) डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट,		
		एक्सप्रैस पार्सल डाक, जीवन बीमा		
		और अभिकरण सेवाओं के माध्यम		
		से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार,		
		संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी		
		व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाने		
		वाली सेवाएं ;		
		(ii) किसी वायुयान या किसी		
		जलयान के संबंध में, किसी पत्तन		
		या किसी वायुपत्तन के परिसरों से		
		भीतर या बाहर सेवाएं ;		
		(iii) माल या यात्रियों का परिवहन ;		
		और		
		( <del></del> )		
		। (ख) स्थावर संपात्त का कराए पर ।		
		(ख) स्थावर संपत्ति को किराए पर दिए जाने संबंधी सेवाएं ।		
8.	शीर्ष 99	दिए जाने संबंधी सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	शीर्ष 99	दिए जाने संबंधी सेवाएं । केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	शीर्ष 99	दिए जाने संबंधी सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	शीर्ष 99	दिए जाने संबंधी सेवाएं । केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	शीर्ष 99	दिए जाने संबंधी सेवाएं ।  केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य केंद्रीय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	शीर्ष 99	दिए जाने संबंधी सेवाएं । केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	शीर्ष 99	दिए जाने संबंधी सेवाएं । केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं :	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	शीर्ष 99	दिए जाने संबंधी सेवाएं । केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं : परंतु इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	शीर्ष 99	दिए जाने संबंधी सेवाएं । केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं :	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	शीर्ष 99	दिए जाने संबंधी सेवाएं। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं: परंतु इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित सेवाओं को लागू नहीं होगी;	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	शीर्ष 99	दिए जाने संबंधी सेवाएं । केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं : परंतु इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित सेवाओं को लागू	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	शीर्ष 99	दिए जाने संबंधी सेवाएं। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं:  परंतु इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित सेवाओं को लागू नहीं होगी;  (i) डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट, एक्सप्रैस पार्सल	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		सेवाएं ;		
		(ii) किसी वायुयान या किसी जलयान के संबंध में, किसी पत्तन या किसी वायुपत्तन के परिसरों से भीतर या बाहर सेवाएं ; (iii) माल या यात्रियों का परिवहन ।		
9.	शीर्ष 99	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		राज्यक्षेत्र या किसी स्थानीय		
		प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाएं, जहां		
		ऐसी सेवाओं के लिए प्रतिफल पांच		
		हजार रुपए से अधिक नहीं है :		
		परंतु निम्नलिखित कोई बात		
		इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट लागू नहीं		
		होगी—		
		(i) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को स्पीड पोस्ट, त्वरित पार्सल डाक, जीवन बीमा और अधिकरण सेवाओं के माध्यम द्वारा डाक विभाग द्वारा सेवाएं ;		
		(ii) किसी पत्तन या किसी विमानपत्तन की परिसीमा के अंदर या बाहर किसी वायुयान या जलयान के संबंध में सेवाएं ;		
		(iii) माल और यात्रियों का परिवहन :		
		परंतु यह और कि जहां केंद्रीय		
		माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 की उपधारा		
		(33) में यथा परिभाषित		
		सेवाओं के निरंतर प्रदाय की		
		दशा में केंद्रीय सरकार, राज्य		
		सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या		
		किसी स्थानीय प्राधिकरण		
		द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं,		

10.	शीर्ष 9954	छूट केवल तभी लागू होगी जहां ऐसी सेवाओं के लिए प्रभार्य प्रतिकर किसी वित्तीय वर्ष में पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है। किसी सिविल ढांचे या फायदाग्राही व्यष्टिक के गृह संनिर्माण या सब के लिए घर या प्रधानमंत्री आवास	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		योजना के अधीन केवल किसी अन्य संनिर्माण, परिनिर्माण, चालू करने, प्रतिष्ठापन, पूरा करने, फिटिंग आउट, मरम्मत, अनुरक्षण, नवीकरण या फेरफार के लिए केवल मात्र श्रम संविदाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं।		
11.	शीर्ष 9954	एकल आवासीय इकाई, जो अन्यथा किसी आवासीय परिसर का भाग नहीं है, से संबंधित संनिर्माण, परिनिर्माण, चालू करने या मूल कार्य के प्रतिष्ठापन की केवल मात्र श्रम संविदाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
12.	शीर्ष 9963 या शीर्ष 9972	आवासीय गृह को निवास के रूप में उपयोग के लिए किराए पर देने संबंधी सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
13.	शीर्ष 9963 या शीर्ष 9972 या शीर्ष 9995 या धारा 9 के अधीन कोई	निम्नलिखित के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा सेवाएं- (क) किसी धार्मिक समारोह का संचालन ; (ख) साधारण पब्लिक के लिए	कुछ नहीं	कुछ नहीं

अन्य शीर्ष

आशयित किसी धार्मिक स्थान के परिसर को भाटक पर देना, जिसका स्वामित्व या प्रबंधन आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 12कक के अधीन पूर्त या धार्मिक न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी निकाय द्वारा या आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड 23ग के उपखंड (v) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्थान या उक्त आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड 23खखक के अधीन आने वाली इकाई या किसी प्राधिकरण द्वारा किया जाता है:

परंतु इस छूट के (ख) में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को लागू होगी,-

- (i) कक्षों को भाटक पर देना, जहां प्रभार प्रतिदिन एक हजार रुपए या अधिक है ;
- (ii) परिसरों, सामुदायिक हालों, कल्याणमंडपम या खुले स्थानों आदि को भाटक पर देना, जहां प्रभार प्रतिदिन दस हजार रुपए या अधिक है;
- (iii) दुकानों या कारबार या वाणिज्य के लिए अन्य स्थानों को भाटक पर देना, जहां प्रभार प्रतिदिन दस हजार

		रुपए या अधिक है ।		
14.	शीर्ष 9963	किसी होटल, सराय या अतिथिगृह, क्लब या कैंप स्थल, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, द्वारा निवास या आवास के प्रयोजनों के लिए सेवाएं देना, जिनका आवास की किसी इकाई का घोषित टैरिफ प्रतिदिन एक हजार रुपए से कम या समतुल्य है।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
15.	शीर्ष 9964	निम्निलिखित द्वारा यात्रियों का परिवहन साथ के समान सहित या रहित- (क) वायुमार्ग से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा राज्य या पश्चिमी बंगाल राज्य में अवस्थित बागडोगरा विमानपत्तन से उड़ान भरने वाले या वहां पर उतरने वाले वायुयान द्वारा; (ख) पर्यटन, आयोजित टूर, चार्टर या भाड़े पर के सिवाय यात्रियों के किसी गैर वातानुकूलित संविदा कैरिज, जो रेडियो टैक्सी से भिन्न है, में परिवहन हेतु; या  (ग) वातानुकूलित स्टैज कैरिज से भिन्न स्टैज कैरिज ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
16.	शीर्ष	केंद्रीय सरकार को वायुयान द्वारा	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	9964	यात्रियों की समान सहित या उसके बिना व्यवहार्यता दूरी वित्तपोषण के रूप में प्रतिफल के लिए परिवहन		

		सेवाएं, जो प्रादेशिक संपर्कता स्कीम विमानपत्तन से प्रारंभ हो रही हैं या समाप्त हो रही हैं, उपलब्ध कराना : परंतु इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात नागर विमानन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित प्रादेशिक संपर्कता स्कीम विमानपत्तन के प्रचालनों के प्रारंभ होने की तारीख से		
		एक वर्ष की अवधि के अवसान पर		
		या पश्चात् लागू नहीं होगी ।		
17.	शीर्ष	यात्रियों की निम्नलिखित के माध्यम	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	9964	से माल असबाब सहित या उसके		
		बिना परिवहन सेवा—		
		(क) निम्नलिखि से भिन्न श्रेणी में रेल द्वारा—		
		(i) प्रथम श्रेणी ; या		
		(ii) वातानुक्लित कोच ;		
		(ख)मेट्रो, मोनोरेल या ट्रामवे ;		
		(ग) आंतरिक जलमार्ग ;		
		(घ) प्रमुखतया पर्यटन प्रयोजन से भिन्न किसी जलयान में भारत में अवस्थित स्थानों के बीच लोक परिवहन ; और		
		(ङ) मीटरीकृत कैब या आटोरिक्शा (जिसके अंतर्गत ई- रिक्शा हैं) ।		
18.	शीर्ष 9965	माल के परिवहन के रूप में सेवाएं-	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		(क) निम्नलिखित सेवाओं के सिवाय		
		सड़क मार्ग द्वारा-		
		(i) कोई माल परिवहन अभिकरण ;		
		(ii) कोई कुरियर अभिकरण ;		

		त्व भंजर्रभीय जनगार्ग उनग्र		
		(ख) अंतर्देशीय जलमार्गो द्वारा ।		
19.	शीर्ष 9965	भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में निकासी के सीमाशुल्क केंद्र तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		किसी वायुयान द्वारा मालों के		
		परिवहन संबंधी सेवाएं ।		
20.	शीर्ष	भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	9965	को निम्नलिखित मालों की रेल या		
		जलयान के माध्यम से परिवहन		
		सेवाएं—		
		(क) प्राकृतिक या मानव निर्मित		
		आपदाओं, विपदाओं, दुर्घटनाओं या		
		घटनाओं के पीड़ितों के लिए आशयित		
		राहत सामग्रियां ;		
		(ख) रक्षा या सैनिक उपस्कर ;		
		(ग) समाचार-पत्र रजिस्ट्रार के पास		
		रजिस्ट्रीकृत समाचार-पत्र या मैगजीन		
		;		
		(घ) रेल उपस्कर या सामग्रियां ;		
		(ङ) कृषि उत्पाद ;		
		(च) दूध, नमक और खाद्यान्न्,		
		जिसके अंतर्गत आटा, दलहन और		
		चावल हैं ; और		
		(छ) जैविक खाद ।		
21.	शीर्ष	माल परिवहन अभिकरण द्वारा	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	9965	निम्नलिखित माल वाहक में परिवहन		
		के माध्यम से उपलब्ध कराई गई		
	या	सेवाएं,-		
	शीर्ष			
		(क) कृषि उत्पाद ;		

	9967	(ख) माल, जहां एकल वाहक में परिवहन किए गए परेषण पर माल के परिवहन के लिए प्रभारित प्रतिफल एक हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होता है;  (ग) माल, जहां एकल प्रेषिती को परिवहन किए गए परेषण पर माल के परिवहन के लिए प्रभारित प्रतिफल सात सौ पचास रुपए से अधिक नहीं होता है;  (घ) दूध, नमक और खाद्यान्न, जिसके अंतर्गत आटा, दलहन और चावल हैं;  (इ) जैविक खाद;  (च) समाचार-पत्र रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत समाचार-पत्र या मैगजीन;  (छ) प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं, विपदाओं, दुर्घटनाओं या घटनाओं के पीड़ितों के लिए आशियत राहत सामग्रियां; और		
22.	शीर्ष 9966 या 9973	निम्नितिखित को भाड़े पर दिए जाने संबंधी सेवाएं- (क) किसी राज्य परिवहन उपक्रम को कोई ऐसा मोटर यान, जो 12 से अधिक यात्रियों को ले जा सकता है; या (ख) किसी माल परिवहन अभिकरण को, माल के परिवहन के लिए कोई साधन।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
23.	शीर्ष 9967	पथकर प्रभारों के संदाय पर किसी सड़क या किसी पुल तक पहुंच प्रदान करने संबंधी सेवा	कुछ नहीं	कुछ नहीं
24.	शीर्ष 9967 या शीर्ष 9985	चावल की लदाई, उतराई, पैकिंग, भंडारण या भांडागार के माध्यम से	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		सेवाएं ।		
25.	शीर्ष 9969	किसी विद्युत प्रेषण या वितरण उपयोगिता द्वारा विद्युत का प्रेषण या वितरण ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
26.	शीर्ष 9971	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
27.	शीर्ष 9971	निम्नलिखित द्वारा सेवाएं-	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		(i) निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को प्रदान करना, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है (क्रेडिट कार्ड सेवाओं में अंतर्वलित ब्याज से भिन्न); (ii) बैंकों या विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यौहारियों के बीच या बैंकों और ऐसे		
		व्यौहारियों के बीच विदेशी मुद्रा का		
		परस्पर विक्रय या क्रय		
28.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (23 of 2013) के अधीन भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन वार्षिकी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली जीवन बीमा कारबार संबंधी सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
29.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	क्रमश: सेना, नौसेना और वायु सेना के सदस्यों को केंद्रीय सरकार के समूह बीमा स्कीमों के अधीन सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले या उपलब्ध कराए जाने के लिए करार पाए गए जीवन बीमा कारबार	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		संबंधी सेवाएं		
30.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन शासित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
31.	शीर्ष 9971	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन शासित व्यक्तियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
32.	शीर्ष 9971	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के अधीन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बीमाकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
33.	शीर्ष 9971	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन गठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले व्यक्तियों के हितों का संरक्षण करके तथा प्रतिभूति बाजार के विकास का संवर्धन और उसका विनियमन करके उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
34.	शीर्ष 9971	अर्जक बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य संदाय कार्ड सेवा द्वारा संव्यवहार किए गए		

		एकल संव्यवहार में दो हजार रुपए तक की किसी रकम के निपटान के		
		संबंध में किसी व्यक्ति को सेवाएं ।		
		स्पष्टीकरण—इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए "अर्जक बैंक" से कोई बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था,		
		जिसके अंतर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय		
		कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति		
		सम्मिलित है, जो किसी अन्य		
		व्यक्ति को, जो ऐसे कार्ड को स्वीकार		
		करता है, को संदाय करता है।		
35.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	निम्नलिखित स्कीमों के अधीन	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	WI 1 000 1	उपलब्ध कराई गई साधारण बीमा		
		कारबार सेवाएं-		
		(क) हट बीमा स्कीम ;		
		(ख) स्वर्ण जयंती ग्राम स्व: रोजगार योजना (जो पहले एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में ज्ञात थी) के अधीन पशु बीमा ;		
		(ग) जनजातीयों के बीमा की स्कीम ;		
		(घ) जनता वैयक्तिक दुर्घटना पालिसी और ग्रामीण दुर्घटना पालिसी ;		
		(ङ) स्व:नियोजित महिलाओं के लिए वैयक्तिक समूह दुर्घटना पालिसी ;		
		(च) कृषि पंप सेट और सुखा कुंआ बीमा ;		
		(छ) निर्यात क्रेडिट बीमा पर संग्रहित प्रीमियम ;		
		(ज) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम या उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम ;		
		(झ) जन-आरोग्य बीमा पालिसी ;		
		(ञ) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (राष्ट्रीय कृषि बीमा		

		योजना) ;		
		(ट) बीज फसल बीमा पर पायलट स्कीम ;		
		(ठ) पशु बीमा पर केंद्रीय सेक्टर स्कीम ;		
		(ड) सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम ;		
		(ढ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ;		
		(ण) कोकोनट पाम बीमा स्कीम ;		
		(त) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ;		
		(थ) राष्ट्रीय स्व:परायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता, बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) के उपबंधों के अधीन गठित न्यास द्वारा कार्यान्वित निरामया स्वास्थ्य बीमा स्कीम ।		
36.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	निम्नलिखित स्कीमों के अधीन उपलब्ध कराए गए जीवन बीमा कारबार की सेवाएं—	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		(क) जनश्री बीमा योजना ; या (ख) आम आदमी बीमा योजना ; (ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित जीवन सुक्ष्म बीमा उत्पाद, जिसकी अधिकतम कवर की राशि पचास हजार रुपए है ; (घ) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना ; (ङ) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ; (छ) प्रधानमंत्री वया वंदन योजना ।		
37.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	अटल पेंशन योजना के अधीन अंशदान के संग्रहण के माध्यम से सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
38.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	राज्य सरकार की किसी पेंशन योजना के अधीन अंशदान के संग्रहण के माध्यम से सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
39.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9985	संबंधित क्षमताओं में निम्नलिखित	कुछ नहीं	कुछ नहीं

			<u> </u>	
		व्यक्तियों द्वारा सेवाएं—		
		(क) किसी बैंककारी कंपनी को उसकी ग्रामीण क्षेत्र में शाखा में खातों के संबंध में कारबार सुकरकर्ता या कारबार कोर्सपोन्डेट ;		
		(ख) खंड (क) में वर्णित सेवाओं के संबंध में किसी कारबार सुकरकर्ता या कारबार कोर्सपोन्डेट को मध्यवर्ती के रूप में कोई व्यक्ति ; या		
		(ग) किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी बीमा कंपनी को कारबार सुकरकर्ता या कारबार कोर्सपोन्डेट ।		
40.	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	किसी बीमा स्कीम के अधीन केंद्रीय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र		
		को उपलब्ध कराई गई सेवाएं, जिसके		
		लिए कुल प्रीमियम का संदाय केंद्रीय		
		सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र		
		द्वारा किया जाता है ।		
41.	शीर्ष 9972	राज्य सरकार की औद्योगिक विकास	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		निगमों या उपक्रमों द्वारा		
		औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक		
		भू-खंडों के दीर्घावधि (तीस वर्ष या		
		अधिक) पट्टे अनुदत्त करने के		
		माध्यम से सेवा की बाबत		
		उद्ग्रहणीय एकमुश्त अपफ्रंट रकम		
		् (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत,		
		े कीमत, विकास प्रभार या किसी अन्य		
		नाम से जाना जाता है) ।		
42.	शीर्ष 9973	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	या	राज्यक्षेत्रों या स्थानीय प्राधिकरणों		
	9991	द्वारा 1 अप्रैल, 2016 से पूर्व अवधि		
		की अवधि के दौरान किसी टेलीकॉम		
		सेवा प्रदाता के रूप में प्रचालन के		
<u> </u>				

		लिए या रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम के		
		उपयोग के लिए किसी कारबार		
		अस्तित्व को, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति		
		फीस या स्पेक्ट्रम उपयोग के प्रभार		
		के संदाय पर अनुज्ञात करने के		
		द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।		
43.	शीर्ष 9973	भारतीय रेल को भारतीय रेल वित्त	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		निगम द्वारा (चल स्टॉक आस्तियों,		3
		जिसके अंतर्गत वैगन, कोच, लोको		
		भी है) आस्तियों के पट्टे पर देने की		
		सेवाएं ।		
44.	शीर्ष 9981		कुछ नहीं	क्छ नहीं
44.	XII4 3301	निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते	3,00 0161	3 000
		हुए किसी वित्तीय वर्ष में कुल पचास		
		लाख रुपए के आवर्त तक के किसी		
		इनक्यूबेटी द्वारा उपलब्ध कराई जाने		
		वाली सेवाएं, अर्थात् :-		
		(क) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान		
		कुल आवर्त पचास लाख रूपए से		
		अधिक नहीं था ; और		
		(ख) इनक्यूबेटी के रूप में करार पर		
		हस्ताक्षर करने की तारीख के पश्चात्		
		से तीन वर्ष की अवधि समाप्त नहीं		
		हुई हो ।		
45.	शीर्ष 9982,	निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	या शीर्ष 9991	गई सेवाएं-		
		(क) किसी माध्यस्थम् अधिकरण		
		द्वारा निम्नलिखित को, -		
		(i) किसी कारबार अस्तित्व से भिन्न		

## किसी व्यक्ति ; या

- (ii) किसी ऐसे कारबार अस्तित्व को, जिसकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त बीस लाख रुपए तक है (विशेष प्रवर्ग के राज्य की दशा में दस लाख रुपए);
- (ख) अधिवक्ताओं की किसी भागीदारी फर्म या किसी वरिष्ठ अधिवक्ता से भिन्न किसी अधिवक्ता के रूप में किसी व्यष्टि को निम्नलिखित को उपलब्ध कराई जाने वाली विधिक सेवाओं के माध्यम से.-
- (i) विधिक सेवाएं उपलब्ध करने वाले किसी अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की भागीदारी फर्म :
- (ii) किसी कारबार अस्तित्व से भिन्न किसी व्यक्ति ; या
- (iii) किसी ऐसे कारबार अस्तित्व को, जिसकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त बीस लाख रुपए तक है (विशेष प्रवर्ग के राज्य की दशा में दस लाख रुपए);
- (ग) किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को, निम्नलिखित को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराके,-
- (i) किसी कारबार अस्तित्व से भिन्न किसी व्यक्ति ; या
- (ii) किसी ऐसे कारबार अस्तित्व को,

		7111 1112 # <del>7 11</del> *		
		जिसकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में		
		सकल आवर्त बीस लाख रुपए तक है		
		(विशेष प्रवर्ग के राज्य की दशा में		
		दस लाख रुपए) ;		
46.	शीर्ष 9983	किसी पशु क्लीनिक द्वारा प्राणियों या पक्षियों की स्वास्थ्य देखरेख के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
47.	शीर्ष 9991,	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	शीर्ष 9983	राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय		
		प्राधिकरण द्वारा		
		(क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य		
		विधि के अधीन अपेक्षित		
		रजिस्ट्रीकरण ;		
		(ख) कार्मिकों, उपभोक्ताओं या		
		अधिकांशत: जनता की स्रक्षा		
		से संबंधित परीक्षण, अशांकन,		
		स्रक्षा जांच या प्रमाणन, जिसके		
		उ अंतर्गत अग्नि अनुज्ञप्ति, जो		
		तत्समय किसी विधि के अधीन		
		अपेक्षित है,		
		के माध्यम से उपलब्ध कराई गई		
		सेवाएं ।		
48.	शीर्ष 9983 या	विज्ञान और तकनीकी विभाग, भारत	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	अध्याय ९९ का	सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान और		
	अन्य कोई शीर्ष	तकनीकी उद्यम विकास बोर्ड द्वारा		
		अन्मोदित किसी प्रौद्योगिकी कारबार		
		इन्क्यूबेटर या किसी विज्ञान और		
		तकनीकी उद्यम पार्क या जैव		
		तकनीकी विभाग, भारत सरकार के		
		अधीन बायो तकनीकी उद्योग		

49.	शीर्ष 9984	अनुसंधान सहायता परिषद् द्वारा अनुमोदित जैव इंक्यूबेटर द्वारा उपलब्ध कराई गई या कराई जाने वाली कराधेय सेवाएं । किसी स्वतंत्र पत्रकार या प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया या यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया द्वारा समाचारों को एकत्र या उपलब्ध कराने संबंधी सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
50.	शीर्ष 9984 या शीर्ष 9991	पुस्तकों, प्रकाशनों या किसी अन्य ज्ञानवर्धन अंतर्वस्तु या सामग्री को उधार देने संबंधी लोक पुस्तकालयों की सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
51.	शीर्ष 9984	माल और सेवाकर (जीएसटी) के अनुपालन के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों को माल और सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
52.	शीर्ष 9985	भारत के बाहर आयोजित किसी कारबार प्रदर्शनी की बाबत किसी आयोजक द्वारा किसी भी व्यक्ति को सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
53.	शीर्ष 9985	खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन को प्रायोजित करने की सेवाएं—  (क) किसी राष्ट्रीय खेल फेडरेशन या उसके किसी सहबद्ध फेडरेशन द्वारा, जहां भाग लेने वाली टीमें या व्यष्टि किसी जिले, राज्य, जोन या देश का प्रतिनिधित्व करते हैं;  (ख) भारतीय विश्वविद्यालयों के संगम, अंतर विश्वविद्यालय खेल बोर्ड, भारतीय विद्यालय	कुछ नहीं	कुछ नहीं

	खेल फेडरेशन, भारत के मूकों के लिए अखिल भारतीय खेल परिषद्, भारत की विकलांग पैरालम्पिक समिति या विशेष ओलंपिक भारत द्वारा ; (ग) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड द्वारा ; (घ) भारतीय ओलपिंक संगम द्वारा राष्ट्रीय खेलों के एक भाग के रूप में ; या (ङ) पंचायत युवा केंद्र और खेल अभियान स्कीम के अधीन।		
54. খ্যাৰ্ছ 9986	निम्निलिखित के माध्यम से खाद्य, फाइबर, ईंधन, कच्ची सामग्री या अन्य वैसे ही उत्पादों या कृषि उत्पाद के लिए पौधों के रोपण और पशुओं के सभी जीवन रूपों के, अश्वों के पालन-पोषण के सिवाय पालन-पोषण से संबंधित सेवाएं—  (क) किसी कृषि उत्पाद, जिसके अंतर्गत खेती, फसलें लगाना, थ्रेसिंग, पौद्या संरक्षण या परीक्षण भी है, से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कृषि प्रचालन ;  (य) कृषि श्रमिकों को उपलब्ध कराना ;  (ग) किसी कृषि फार्म में की जाने वाली प्रक्रियाएं, जिसके अंतर्गत पौद्यों की देखभाल करना, छटाई, काटना, कटाई, शुष्कन, सफाई, परिकर्तन, धूप में शुष्कन, धूमन, उन्हें ठीक करना, वर्गाकरण, ग्रेडिंग, प्रशीतन या प्रपुंज पैकेजिंग करना और वैसे ही प्रचालन, जो कृषि उत्पाद के अनिवार्य गुण धर्म को परिवर्तित नहीं करते हैं किंतु उसे प्राथमिक बाजार के लिए केवल विपणनीय बनाते हैं;  (घ) कृषि संबंधी मशीनरी या किसी रिक्त भूमि, जो उसके उपयोग के आनुषंगिक किसी संरचना सहित या उसके रहित है, किराए या पट्टे पर देना;	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		(ङ) कृषि उत्पाद की लदाई, उतराई, पैकिंग, भंडारण या भांडागारण ;		
		(च) कृषि विस्तारण सेवाएं ;		
		(छ) किसी कृषि उत्पाद विपणन समिति या बोर्ड द्वारा सेवाएं या कृषि उत्पाद के विक्रय या क्रय के लिए किसी कमीशन अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं ।		
55.	शीर्ष 9986	पादपों की बुआई और अश्वों के पालन-पोषण के सिवाय पशुओं के सभी जीवित प्ररूपों के पालन-पोषण जैसे खाद्य, रेशे, ईंधन, कच्ची सामग्री या कोई अन्य समान उत्पादों	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		या कृषि उपज के संबंध में जाबवर्क के रूप में किसी मध्यवर्ती उत्पादन क्रिया को करना ।		
56.	शीर्ष 9988	पशुओं के वध के द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
57.	शीर्ष 9988 या अन्य कोई शीर्ष का खंड 8 और खंड 9	चढ़ाने, खुदरा पैकिंग, लेबल लगाने के	कुछ नहीं	कुछ नहीं
58.	शीर्ष 9992, शीर्ष 9988	कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रशीतन शृंखला विकास केंद्र द्वारा प्रशीतन शृंखला संबंधी ज्ञान का प्रसार करके उपलब्ध कराई गई सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं

59.	शीर्ष 9999	भारत में स्थित विदेशी राजनयिक मिशन द्वारा सेवाएं ।	क्छ नहीं	क्छ नहीं
60.	शीर्ष 9991			J
60.	शाष ५५५।		कुछ नहीं	कुछ नहीं
		विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा		
		सुविधा प्राप्त किसी धार्मिक तीर्थ		
		यात्रा के संबंध में किसी विनिर्दिष्ट		
		संगठन द्वारा सेवाएं ।		
61.	शीर्ष 9991	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण		
		द्वारा पासपोर्ट, वीजा, चालन-		
		अनुज्ञप्ति, जन्म प्रमाणपत्र या मृत्यु		
		प्रमाणपत्र जारी करने के माध्यम से		
		उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।		
62.	शीर्ष 9991,	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	शीर्ष 9997	राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण		
		द्वारा किसी गैर निष्पादनकारी		
		संविदा, जिसके लिए जुर्माने या		
		परिसमापन नुकसानी के रूप में		
		े केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ		
		राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण को		
		उस संविदा के अधीन संदेय है, को		
		वहन करने के माध्यम से उपलब्ध		
		कराई गई सेवाएं ।		
63.	शीर्ष 9991		कुछ नहीं	कुछ नहीं
		केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ	3.0, 101	2.0, 161
		राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण		
		द्वारा पादपों की कृषि और अश्वों के		
		पालन-पोषण के सिवाय पशुओं के		
		सभी जीवित रूपों के पालन-पोषण के		
		लिए किसी व्यष्टिक किसान को		
		भोजन, फाइबर, ईंधन, कच्ची सामग्री		

	ı	T	I	1
		या उसी प्रकार के अन्य उत्पादों के		
		लिए प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग		
		के अधिकार के समनुदेशन के रूप में		
		उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।		
64.	शीर्ष 9991 या शीर्ष 9973	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	VII 4 3370	राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण		
		द्वारा किसी प्राकृतिक संसाधन के		
		उपयोग के अधिकार के समनुदेशन		
		के माध्यम से उपलब्ध कराई गई		
		सेवाएं, जहां उपयोग के अधिकार को		
		केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ		
		राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण		
		द्वारा 1 अप्रैल, 2016 से पूर्व		
		समनुदेशित किया गया है :		
		परंतु यह छूट केवल पूर्ण एकमुश्त या		
		किस्तों में ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के		
		उपयोग के अधिकार को समन्देशित		
		करने के लिए प्रभार्य एक बार संदेय		
		कर को लागू होगी ।		
65.	शीर्ष 9991	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		राज्यक्षेत्र द्वारा वाणिज्य समयोपरि		
		प्रभारों के संदाय पर आयात-निर्यात		
		कार्गों से संबंधित निरीक्षण या		
		आधान भरने या अन्य ऐसे कर्तव्यों		
		के लिए कार्यालय समय के पश्चात्		
		या अवकाश दिवस पर अधिकारियों		
		को तैनात करने के रूप में उपलब्ध		
		कराई गई सेवाएं		

	l o (	T	· ·	
66.	शीर्ष 9992		कुछ नहीं	कुछ नहीं
		गई सेवाएं, -		
		(क) किसी शैक्षणिक संस्था द्वारा		
		उसके छात्रों, संकाय और कर्मचारिवृंद		
		को ;		
		(ख) निम्नलिखित के माध्यम से		
		किसी शैक्षणिक संस्था को,-		
		(i) छात्रों, संकाय और कर्मचारिवृंद का		
		परिवहन ;		
		(ii) कैटेरिंग, जिसके अंतर्गत केंद्रीय		
		सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र		
		प्रशासन द्वारा प्रायोजित मिड डे		
		मील स्कीम है ;		
		(iii) ऐसी शैक्षणिक संस्था में उपलब्ध		
		कराई गई सुरक्षा या सफाई या हाऊस		
		कीपिंग संबंधी सेवाएं ;		
		(iv) ऐसी संस्था द्वारा उसमें प्रवेश या		
		परीक्षा के आयोजन से संबंधित		
		सेवाएं ; उच्चतर माध्यमिक स्तर		
		तक :		
		परंतु इस प्रविष्टि (ख) में		
		अंतर्विष्ट कोई बात पूर्व विद्यालय		
		पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक		
		विद्यालय या समतुल्य स्तर पर		
		शिक्षा के रूप में सेवाएं उपलब्ध		
		कराने वाली किसी संस्था से भिन्न		
		किसी शैक्षणिक संस्था को लागू नहीं		
		होगी ।		

67. शीर्ष 9992 भारतीय प्रबंध संस्थानों द्वारा, केंद्रीय एरकार के मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार उनके छात्रों को, कार्यपालक विकास कार्यक्रम को छोड़कर निम्निलिखित शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं.  (क) प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए प्रबंध में दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) के आधार पर प्रदान किए जाते हैं:  (ख) प्रबंध में अध्येता कार्यक्रम :  (ग) प्रबंध में पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम ।  68. शीर्ष 9996, विस्ती मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय को कुछ नहीं निम्निलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं-  (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय को कुछ नहीं किकाय द्वारा आयोजित खेल आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रेफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्याष्टिर द्वारा :		Г		T	T
अनुसार उनके छात्रों को, कार्यपालक विकास कार्यक्रम को छोड़कर निम्निलिखित शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं  (क) प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए प्रवंध में दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिए प्रवंश भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित सामान्य प्रवंश परीक्षा (सीएटी) के आधार पर प्रदान किए जाते हैं:  (ख) प्रबंध में अध्येता कार्यक्रम ;  (ग) प्रबंध में पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम ।  68. शीर्ष 9996.  किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय को कृष्य नहीं निम्निलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं-  (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय के लिए किसी खिलाड़ी, रैफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टिट द्वारा ;	67.	शीर्ष 9992	भारतीय प्रबंध संस्थानों द्वारा, केंद्रीय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
विकास कार्यक्रम को छोड़कर निम्निलिखित शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं  (क) प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए प्रबंध में दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) के आधार पर प्रदान किए जाते हैं:  (ख) प्रबंध में अध्येता कार्यक्रम :  (ग) प्रबंध में पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम ।  68. शीर्ष 9996.  वा निम्निलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं-  (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय को कुछ नहीं कुछ नहीं निम्निलिखित द्वारा अपलब्ध कराई गई सेवाएं-  (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय से आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रैफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा :			सरकार के मार्गदर्शन सिद्धांतों के		
निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं,-  (क) प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए प्रबंध में दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) के आधार पर प्रदान किए जाते हैं ;  (ख) प्रबंध में अध्येता कार्यक्रम ;  (ग) प्रबंध में पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम ।  68. शीर्ष 9996, विसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय को निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं-  (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय केल आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रेफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा ;			अनुसार उनके छात्रों को, कार्यपालक		
माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं  (क) प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए प्रबंध में दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) के आधार पर प्रदान किए जाते हैं;  (ख) प्रबंध में अध्येता कार्यक्रम;  (ग) प्रबंध में पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम ।  68. शीर्ष 9996. विसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय को निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं-  (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय केल आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रेफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा;			विकास कार्यक्रम को छोड़कर		
सेवाएं  (क) प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए प्रबंध में दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) के आधार पर प्रदान किए जाते हैं:  (ख) प्रबंध में अध्येता कार्यक्रम ;  (ग) प्रबंध में पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम ।  68. शीर्ष 9996, किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय को निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं-  (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय किलाय द्वारा आयोजित खेल आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रेफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी ट्यष्टि द्वारा ;			निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रमों के		
(क) प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए प्रबंध में दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) के आधार पर प्रदान किए जाते हैं ; (ख) प्रबंध में अध्येता कार्यक्रम ; (ग) प्रबंध में पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम ।  68. शीर्ष 9996. किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय को निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं- (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय केलाय द्वारा आयोजित खेल आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रेफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी ट्यण्टि द्वारा ;			माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली		
डिप्लोमा के लिए प्रबंध में दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) के आधार पर प्रदान किए जाते हैं: (ख) प्रबंध में अध्येता कार्यक्रम; (ग) प्रबंध में पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम ।  68. शीर्ष 9996. किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय को निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं- (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय खेल आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रेफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा:			सेवाएं,-		
वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) के आधार पर प्रदान किए जाते हैं : (ख) प्रबंध में अध्येता कार्यक्रम ; (ग) प्रबंध में पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम ।  68. शीर्ष 9996, किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय को कृष्ण नहीं निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं- (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय द्वारा आयोजित खेल आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रैफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा ;			(क) प्रबंध में स्नातकोत्तर		
कार्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) के आधार पर प्रदान किए जाते हैं ; (ख) प्रबंध में अध्येता कार्यक्रम ; (ग) प्रबंध में पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम ।  68. शीर्ष 9996, किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय को निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं- (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय क्रीड़ा निकाय द्वारा आयोजित खेल आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रेफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा ;			डिप्लोमा के लिए प्रबंध में दो		
भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) के आधार पर प्रदान किए जाते हैं : (ख) प्रबंध में अध्येता कार्यक्रम ; (ग) प्रबंध में पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम ।  68. शीर्ष 9996, या निम्निलखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं- (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय द्वारा आयोजित खेल आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रैफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा ;			वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर		
आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) के आधार पर प्रदान किए जाते हैं ; (ख) प्रबंध में अध्येता कार्यक्रम ; (ग) प्रबंध में पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम ।  68. शीर्ष 9996, या निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई शीर्ष 9992 गई सेवाएं- (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय द्वारा आयोजित खेल आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रैफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा ;			कार्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश		
(सीएटी) के आधार पर प्रदान किए जाते हैं : (ख) प्रबंध में अध्येता कार्यक्रम ; (ग) प्रबंध में पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम ।  68. शीर्ष 9996, या निम्नितिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं- (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय को कुछ नहीं गई सेवाएं- (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय द्वारा आयोजित खेल आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रैफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा ;			भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा		
किए जाते हैं ; (ख) प्रबंध में अध्येता कार्यक्रम ; (ग) प्रबंध में पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम ।  68. शीर्ष 9996, या निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई शीर्ष 9992 गई सेवाएं- (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय द्वारा आयोजित खेल आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रैफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यिष्ट द्वारा ;			आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा		
(ख) प्रबंध में अध्येता कार्यक्रम ; (ग) प्रबंध में पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम ।  68. शीर्ष 9996, या निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई शीर्ष 9992 गई सेवाएं- (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीडा निकाय द्वारा आयोजित खेल आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रैफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा ;			(सीएटी) के आधार पर प्रदान		
(ग) प्रबंध में पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम ।  68. शीर्ष 9996, या निम्निलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं- (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय की नृष्ट नहीं गई सेवाएं- (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय द्वारा आयोजित खेल आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रैफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा ;			किए जाते हैं ;		
एकीकृत कार्यक्रम ।  68. शीर्ष 9996, विसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय को कुछ नहीं कुछ नहीं निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई शीर्ष 9992 गई सेवाएं-  (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय द्वारा आयोजित खेल आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रैफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा ;			(ख) प्रबंध में अध्येता कार्यक्रम ;		
68. शीर्ष 9996, किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय को कुछ नहीं कुछ नहीं निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई शीर्ष 9992 गई सेवाएं-  (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय द्वारा आयोजित खेल आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रेफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा;			(ग) प्रबंध में पांच वर्षीय		
या निम्नितिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं- (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीडा निकाय द्वारा आयोजित खेल आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रैफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा ;			एकीकृत कार्यक्रम ।		
गई सेवाएं-  (क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीडा  निकाय द्वारा आयोजित खेल  आयोजन में भागीदारी के लिए  किसी खिलाड़ी, रैफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में  किसी व्यष्टि द्वारा;	68.	शीर्ष 9996,	किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा निकाय को	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीडा निकाय द्वारा आयोजित खेल आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रैफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा ;		या	निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई		
निकाय द्वारा आयोजित खेल आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रैफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा ;		शीर्ष 9992	गई सेवाएं-		
आयोजन में भागीदारी के लिए किसी खिलाड़ी, रैफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा ;			(क) किसी मान्यताप्राप्त क्रीडा		
किसी खिलाड़ी, रैफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा ;			निकाय द्वारा आयोजित खेल		
कोच या टीम प्रबंधक के रूप में किसी व्यष्टि द्वारा ;			आयोजन में भागीदारी के लिए		
किसी व्यष्टि द्वारा ;			किसी खिलाड़ी, रैफरी, अंपायर,		
			कोच या टीम प्रबंधक के रूप में		
			किसी व्यष्टि द्वारा ;		
(ख) किसा अन्य मान्यताप्राप्त			(ख) किसी अन्य मान्यताप्राप्त		
क्रीडा निकाय द्वारा			क्रीडा निकाय द्वारा		

69.	शीर्ष 9992 या शीर्ष 9991 या शीर्ष 9983	निम्नलिखित द्वारा प्रदाय कोई सेवाएं—	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		(i) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ;		
		(ii) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित कोई सेक्टर कौशल परिषद् ;		
		(iii) सेक्टर कौशल परिषद् या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित कोई निर्धारण अभिकरण ;		
		(iv) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या सेक्टर कौशल परिषद् द्वारा अनुमोदित कोई प्रशिक्षण भागीदार,		
		निम्नलिखित के संबंध में,		
		(क) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम ; या		
		(ख) राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार स्कीम के अधीन कोई व्यवसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रम ; या		
		(ग) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित कोई अन्य स्कीम ।		
70.	शीर्ष 9992 या शीर्ष 9983 या शीर्ष 9985	कौशल विकास पहल स्कीम के अधीन निर्धारण के माध्यम द्वारा	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल		
		विकास और उद्यमता मंत्रालय द्वारा		
		केंद्रीय सूचीबद्ध निर्धारण निकायों की सेवाएं ।		
71.	शीर्ष 9992	राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		द्वारा प्रमाणीकृत कौशल या		
		व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के		
		प्रस्तावों के माध्यम द्वारा ग्रामीण		

72.	शीर्ष 9992	विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अधीन प्रशिक्षण प्रदाताओं (परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों) द्वारा प्रदत्त सेवाएं । किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसके लिए	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		कुल व्यय केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया गया है, के अधीन केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को प्रदत्त सेवाएं।		
73.	शीर्ष 9992	रज्जु रक्त बैंक द्वारा स्टेम कोशिकाओं के परिरक्षण के द्वारा या ऐसे परिरक्षण के संबंध में कोई अन्य सेवाएं द्वारा प्रदत्त सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
74.	शीर्ष 9993	निम्निलिखित के माध्यम से सेवाएं (i) किसी नैदानिक स्थापन, किसी प्राधिकृत चिकित्सा व्यवसायी या पैरा चिकित्सीय द्वारा स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं ; (ii) किसी रोगी वाहन में किसी रोगी के परिवहन के रूप में पूर्वोक्त (i) में विनिर्दिष्ट सेवाओं से भिन्न प्रदत्त सेवाएं,	कुछ नहीं	कुछ नहीं
75.	शीर्ष 9994	किसी नैदानिक स्थापन को सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार प्रसुविधा के प्रचालकों द्वारा, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के उपचार या व्ययन के माध्यम से या उससे आनुषंगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
76.	शीर्ष 9994	लोक सुविधाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं जैसे कि स्नानागार,	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		वाश रूम, शौच घर, मूत्रालय या शौचालयों का उपबंध किया जाना ।		
77.	शीर्ष 9995		उक्त उन्हें	<del> </del>
//.	राषि ५५५५	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के	कुछ नहा	कुछ नहीं
		अधीन किसी गैर-निगमित निकाय		
		या रजिस्ट्रीकृत किसी गैर लाभकारी		
		अस्तित्व द्वारा उसके स्वयं के		
		सदस्यों को निम्नलिखित के रूप में		
		प्रभारों की प्रतिपूर्ति या अभिदाय के		
		शेयर के माध्यम से उपलब्ध कराई		
		गई सेवा-		
		(क) किसी व्यापार संघ के रूप		
		में ;		
		(ख) किसी ऐसे क्रियाकलाप को		
		करने का उपबंध करने हेत्,		
		जिसे माल और सेवाकर के		
		उद्ग्रहण से छूट प्राप्त है ; या		
		(ग) किसी हाऊसिंग सोसाइटी या		
		आवासीय काम्पलेक्स में उसके		
		सदस्यों के सामूहिक उपयोग के		
		लिए किसी तृतीय व्यक्ति से		
		प्राप्त किए जाने वाले माल या		
		सेवाओं के लिए प्रति सदस्य		
		प्रतिमास पांच हजार रुपए तक		
		की रकम ।		
78.	शीर्ष 9996	किसी कलाकार द्वारा निम्नलिखित	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		रूप के किसी लोक या शास्त्रीय कला		
		रूप में प्रदर्शन के माध्यम से		
		उपलब्ध कराई गई सेवाएं-		

		(i) संगीत, या		
		(ii) नृत्य, या		
		्र (iii) थियेटर,		
		यदि ऐसे कला प्रदर्शन के लिए		
		प्रभारित प्रतिफल एक लाख पचास		
		हजार रुपए से अधिक नहीं है :		
		परंतु यह छूट ऐसे कलाकार		
		द्वारा किसी ब्रांड एम्बेस्डर के रूप में		
		े उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा के		
		संबंध में लागू नहीं होगी ।		
79.	शीर्ष 9996	किसी संग्रहालय, राष्ट्रीय उद्यान,	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		वन्यजीव अभ्यारण्य, बाघ संरक्षिती		
		या चिड़ियाघर में प्रवेश करने संबंधी		
		सेवाएं		
80.	शीर्ष 9996	(i) कला या संस्कृति, या	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		(แ) आय-कर अधिनियम, 1961		
		(1961 का 43) की धारा		
		12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत		
		किसी पूर्त अस्तित्व द्वारा खेल,		
		के संबंध में किन्हीं आमोद-प्रमोद		
		क्रियाकलापों में प्रशिक्षण या कोचिंग		
		द्वारा सेवाएं ।		
81.	शीर्ष 9996	(i) सर्कस, नृत्य, थियेटर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		अभिनय, जिसके अंतर्गत नाटक		
		और नृत्य नाटक भी हैं ;		
		(іі) पुरस्कार समारोह, संगीत		
		समारोह, तमाशा, संगीत प्रदर्शनों		
		या किसी मान्यताप्राप्त खेल		

आयोजन से भिन्न कोई खेल आयोजन ; (iii) मान्यताप्राप्त खेल आयोजन ; जहां उपर्युक्त (i), (ii) और (iii) में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिफल 250/- रुपए से अधिक नहीं है, के प्रवेश के अधिकार के माध्यम द्वारा सेवाएं।

- 2. परिभाषाए- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) "विज्ञापन" से समाचार पत्र, टेलिविजन, रेडियो या किसी अन्य माध्यम से किसी घटना, विचार, स्थावर संपित्त, व्यक्ति, सेवा, माल या अनुयोज्य दावे के विषय में संवर्धन के लिए प्रस्तुतिकरण का कोई रूप, या उनके विषय में जागरूकता लाना अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत वैयक्तिक रूप से कोई प्रस्तुतीकरण नहीं है;
- (ख) "अधिवक्ता" का वही अर्थ है जो उसका अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) में है;
- (ग) "कृषि विस्तार" से किसान शिक्षा या प्रशिक्षण द्वारा कृषि पद्धतियों में वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान का अनुपयोग अभिप्रेत है;
- (घ) "कृषि उत्पाद" से पौधों की उपज और पशुओं के सभी जीवित रूपों को पालने सिवाय अश्व पालन के, खाद्य के लिए, फाइबर, ईंधन, कच्ची सामग्रियां या अन्य वैसे ही उत्पाद अभिप्रेत है, जिन पर या तो कोई और प्रसंस्करण नहीं किया जाता है या ऐसा प्रसंस्करण प्रायः उपजाने वाले द्वारा या उत्पादक द्वारा किया जाता है जो उसकी अनिवार्य विशेषताओं में फेरफार नहीं करता है किंतु उसे प्राथमिक बाजार में विपणन योग्य बनाता है;

- (ङ) "कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड" से कृषि उत्पादों के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त राज्य विधि के अधीन गठित कोई समिति या बोर्ड अभिप्रेत है;
- (च) "वायुयान" का वही अर्थ है जो उसका वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 2 के खंड (1) में है;
- (छ) "विमान पत्तन" का वही अर्थ है जो उसका भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 2 के खंड (ख) में है;
- (ज) "अनुमोदित व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-
  - (i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा परिषद् या राज्य व्यवसायिक शिक्षा परिषद्, जो प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अधीन अधिसूचित नामनिर्दिष्ट व्यवसायों में पाठ्यक्रम का प्रस्ताव करते हैं, से संबद्ध संस्थान द्वारा चलाया जाने वाला पाठ्यक्रम अभिप्रेत है ; या
  - (ii) प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के पास रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित मोडुलर नियोजनीय कौशल पाठ्यक्रम;
- (झ) "माध्यस्थम अधिकरण" का वही अर्थ है जो उसका माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 2 के खंड (घ) में है;
- (ञ) "प्राधिकृत विदेशी मुद्रा डीलर" का वही अर्थ है जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (ग) में "प्राधिकृत व्यक्ति" का है;
- (ट) "प्राधिकृत चिकित्सा व्यवसायी" से भारत में स्थापित या मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धित की किसी भी मान्यताप्राप्त परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत चिकित्सा पेशेवर सिम्मिलित है जिसके पास तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार भारत में किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धित में व्यवसाय करने के लिए अपेक्षित अर्हता है;

- (ठ) "बैंककारी कंपनी" का वही अर्थ है जो उसका भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45क के खंड (क) में है;
- (ड) "ब्रांड अम्बेसडर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मालों के ब्रांड, सेवा, संपत्ति या अनुप्रोज्य दावा, घटना या नाम के पृष्ठांकन, जिसके अंतर्गत कोई व्यापार नाम, लोगो या किसी व्यक्ति का गृह चिहन है, की प्रोन्नति या विपणन में लगा हुआ है;
- (ढ) "कारबार निकाय" से कारबार करने में लगा हुआ कोई व्यक्ति अभिप्रेत है:
- (ण) "कारबार सुकरकर्ता या कारबार संवाददाता" से किसी बैंककारी कंपनी द्वारा कारबार सुकरकर्ता माडल या कारबार संवाददाता माडल के अधीन या किसी बीमा कंपनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन नियुक्त मध्यवर्ती अभिप्रेत है;
- (त) "केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण" से विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (थ) "केंद्रीय पारेषण उपयोगिता" का वही अर्थ है जो उसका विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 के खंड (10) में है;
- (द) "पूर्त कार्यकलाप" से निम्नलिखित से संबंधित कार्यकलाप अभिप्रेत है-
  - (i) निम्नलिखित के माध्यम से लोक स्वास्थ्य,-
    - (क) निम्नलिखित की देखरेख या काउंसिलिंग,-
      - (अ) असाध्य रूप से रुग्ण व्यक्ति या गंभीर शारीरिक या मानसिक निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति.
      - (आ) एच आई वी या एड्स ग्रस्त व्यक्ति, या
      - (इ) निर्भरता बनाने वाले पदार्थ जैसे मादक औसत या एल्कोहल के व्यसनी व्यक्ति; या
    - (ख) निवारक स्वास्थ्य, परिवार नियोजन या एच आई वी संदूषण का निवारण करने के लिए लोक जागरूकता;
  - (ii) धर्म, आध्यात्मिकता या योग की प्रोन्नति;
  - (iii) निम्नलिखित से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रमों या कौशल की प्रोन्नति,-
    - (क) परित्यक्त, अनाथ या गृह-विहीन बालक;
    - (ख)शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ित और संघातग्रस्त व्यक्ति;

- (ग) बंदी; या
- (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति;
- (iv) पर्यावरण संरक्षण जिसके अंतर्गत जलसंभर, वन और वन्य जीव हैं:
- (ध) "नैदानिक प्रतिस्थापन" से कोई अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, सैनिटोरियम या कोई अन्य संस्था, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जो निदान या उपचार या रुग्णता, चोट, विरूपण, अप्रसमान्यता या गर्भावस्था के लिए अपेक्षित सेवाओं या सुविधाओं का भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति में प्रस्ताव करता है या स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किसी स्थान पर या बीमारियों के निदान या जांच के लिए सेवा प्रदान करने वाले किसी स्थापन के एक भाग के रूप में सेवा प्रदान करता है;
- (न) "कांन्ट्रेक्ट कैरिज" का वही अर्थ है जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (7) में है;
- (प) "कुरियर अधिकरण" से समय संवेदनशील दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के द्वार से द्वार परिवहन में लगे हुए व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग या तो सीधे या अप्रत्यक्षतः ऐसे दस्तावेजों, माल या वस्तुओं को ले जाने या उनके साथ जाने के लिए करता है;
- (फ) "सीमाशुल्क स्टेशन" का वही अर्थ है जो उसका सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा (2) के खंड (13) में है;
- (ब) "घोषित टैरिफ" में आवास इकाई में उपलब्ध कराई गई सभी सुविधाओं जैसे फर्नीचर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुविधाओं के लिए प्रभार सम्मिलित है किंतु इसमें ऐसी इकाई के लिए प्रकाशित प्रभारों में प्रस्ताव किया गया बहा भी है;
- (भ) "वितरक या विक्रय अभिकर्ता" से कोई व्यष्टि या फर्म या निगमित निकाय या कोई अन्य विधिक निकाय जिसे विधि के अधीन आयोजनकारी राज्य द्वारा आचोजनकारी राज्य की ओर से लाटरियों के विपणन और विक्रय के लिए किसी करार के माध्यम से उस प्रकार नियुक्त किया गया है;
- (म) "शैक्षिक संस्था" से निम्नलिखित के माध्यम से,--

- (i) विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समत्ल्य तक शिक्षा;
- (ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मान्यताप्राप्त अर्हता अभिप्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शिक्षा;
- (iii) किसी अनुमोदित व्यवसायिक पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शिक्षा के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहा है,

## अभिप्रेत है;

- (य) "वैद्युत पारेषण या वितरण उपयोगिता" से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण; राज्य विद्युत बोई, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन अधिसूचित राज्य पारेषण उपयोगिता; या उक्त अधिनियम के अधीन वितरण या पारेषण अनुज्ञिष्तिधारी या कोई इकाई जिसे, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्य सौंपे गए हैं;
- (यक) "ई-रिक्शा" से विशेष प्रयोजन 4000 वाट से अनिधक शक्ति से बैटरी शक्ति चालित यान अभिप्रेत है जिनके भाटक या प्रतिफल पर, यथास्थिति, माल या यात्रियों के वहन के लिए तीन पिहए हैं, जिनका विनिर्माण, सिन्निर्माण या अंगीकरण, सज्जा और अनुरक्षण ऐसी विशिष्टियों के अनुसार किया जाता है जो इस निमित्त विहित की जाएं;
- (यख) "साधारण बीमा कारबार" का वही अर्थ है जो उसका साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 3 के खंड (छ) में है;
- (यग) "साधारण जनता" से अधिकांशतः लोगों का निकाय अभिप्रेत है, जो लोगों की सामान्य क्वालिटी या अव्यक्तिक प्रकृति के कारण पर्याप्त रूप से परिभाषित है;
- (यघ) "माल वाहक" का वही अर्थ है जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (14) में है;
- (यङ) "माल परिवहन अभिकरण" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(यच) "सरकारी प्राधिकरण" का वही अर्थ है जो उसका एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 2 के खंड (16) के स्पष्टीकरण में है;

(यछ) "स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं" से निदान या उपचार या रुग्णता की देखरेख, चोट, विरूपता, अप्रसामान्यता या गर्भावस्था के निदान या उपचार के लिए भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धित अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी नैदानिक स्थापना को और उससे रोगियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं सम्मिलित हैं किंतु इसके अंतर्गत केश प्रत्यारोपण या कास्मेटिक या प्लास्टिक शल्यक्रिया सिवाय तब जब अनुवांशिक त्रुटियों, विकासात्मक अप्रसामान्यताओं, चोट या संघात के कारण प्रभावित शरीर के अंगों या शरीर के कृत्यों को बहाल करने या पुनर्निर्माण के लिए की जाती है, सिम्मिलित नहीं है;

(यज) "इनक्यूबेटी" से राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता विकास बोर्ड (एन एस टी ई डी बी) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रौद्योगिकी कारबार इंकूबेटर या विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता पार्क के परिसरों में अवस्थित उद्यम अभिप्रेत है और जिसमें प्रौद्योगिकी कारबार इंकूबेटर या विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता पार्क के साथ स्वयं को उच्च प्रौद्योगिकी उन्मुख और नूतन उत्पादों का विकास और उत्पादन करने के लिए समर्थ बनाने के लिए करार किया है;

(यझ) "अंतर्देशीय जलमार्ग" से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 2 के खंड (ज) में यथा परिभाषित या किसी अंतर्देशीय जल में कोई अन्य जलमार्ग जो अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) की धारा 2 के खंड (ख) में परिभाषित है, अभिप्रेत है;

(यञ) "बीमा कंपनी" से जीवन बीमा कारबार या साधारण बीमा कारबार चलाने वाली कंपनी अभिप्रेत है;

(यट) "ब्याज" से उधार लिए गए किसी धन या उपगत ऋण (जिसके अंतर्गत कोई जमा, दावा या अन्य वैसे ही अधिकार या बाध्यता है) के संबंध में किसी रीति में संदेय ब्याज अभिप्रेत है किंत् इसके अंतर्गत उधार ली गई राशि या उपगत ऋण के संबंध में या किसी प्रत्यय सुविधा, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के संबंध में सेवा फीस या अन्य प्रभार सम्मिलित नहीं है ;

- (यठ) "मध्यवर्ती" का वही अर्थ है जो उसका एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 की उपधारा (13) में है ;
- (यड) "विधिक सेवा" से विधि की किसी शाखा में किसी रीति में, किसी सलाह, परामर्श या सहायता के संबंध में उपलब्ध कराई गई कोई सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्वकारी सेवाएं सिम्मिलित हैं;
- (यढ) "जीवन बीमा कारबार" का वही अर्थ है जो उसका बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड 11 में है;
- (यण) "जीवन सुक्ष्म बीमा उत्पाद" का वही अर्थ है जो उसका बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सुक्ष्म बीमा) विनियम, 2005 के विनियम 2 के खंड (ङ) में है ;
- (यत) "मीटरित कैब" से कोई ठेकाकारी अभिप्रेत है, जिस पर एक स्वचालित युक्ति है, जो राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन अनुमोदित किस्म और मेक की है, लगी हुई है, जो किसी क्षण प्रभार्य भाटक और जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी परिमट की शर्तों के अधीन तदनुसार प्रभार्य भाटक के पठन को उपदर्शित करती है, (किंतु इसके अंतर्गत रेडियो टैक्सी नहीं है);
- (यथ) "राष्ट्रीय उद्यान" का वही अर्थ है जो उसका व्न्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 2 के खंड 21 में है ;
- (यद) "आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाओं" का वही अर्थ होगा जो उनका एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 2 के खंड 17 में है ;
- (यध) "मूल संकर्म" से सभी नए संकर्म अभिप्रेत है ;
  - (i) भूमि पर परित्यक्त या क्षतिग्रस्त ढांचों पर सभी किस्म के वर्धन और फेरफार, जो उन्हें कार्य योग्य बनाने के लिए अपेक्षित हैं ;
  - (ii) संयंत्र, मशीनरी या उपस्कर या ढांचों का परिनिर्माण चालू करना या संस्थापन, चाहे प्री फेब्रिकेटेड या अन्यथा हो ;

## (यन) "प्रिंट मीडिया" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,--

- (i) प्रैस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उपधारा (1) में यथापरिभाषित 'पुस्तक' किंतु इसके अंतर्गत कारबार निदेशिकाएं, पीत पृष्ठ और व्यापार कैटलॉग, जो मुख्यत: वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आशयित हैं, सिम्मिलित नहीं है;
- (ii) प्रैस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उपधारा (1) में यथापरिभाषित 'समाचार-पत्र' ;
- (यप) "पत्तन" का वही अर्थ है जो उसका महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 2 के खंड (थ) में या भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 3 के खंड 4 में है;
- (यफ) "रेडियो टैक्सी" से रेडियो कैब सिहत ऐसी टैक्सी, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय के साथ टू-वे रेडियो संसूचना में है और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या साधारण पैकेट रेडियो सर्विस का प्रयोग करके पता लगाने में समर्थ है;
- (यब) ''मान्यताप्राप्त खेलकूद आयोजन'' से ऐसा कोई खेलकूद आयोजन अभिप्रेत है,-
  - (i) जो किसी मान्यताप्राप्त खेलकूद निकाय द्वारा आयोजित किया जाता है, जहां भाग लेने वाली टीम या व्यष्टि, किसी जिले, राज्य, जोन या देश का प्रतिनिधित्व करता है ;
  - (ii) जो निम्नलिखित के द्वारा आयोजित किया जाता है-
  - (क) राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ या उसके सहबद्ध परिसंघ, जहां भाग लेने वाली टीमें या व्यष्टि किसी जिले, राज्य या जोन का प्रतिनिधित्व करते हैं ;
  - (ख) भारतीय विश्वविद्यालयों के संगम, अंतर्विश्वविद्यालय खेलकूद बोर्ड, भारतीय स्कूल खेल परिसंघ, अखिल भारतीय बधिर खेलकूद परिषद्, भारतीय पैरालिम्पिक समिति या विशेष ओलंपिक भारत ;
  - (ग) केंद्रीय सिविल सेवा, सांस्कृतिक और खेलकूद बोर्ड ;
  - (घ) भारतीय ओलंपिक संगम द्वारा राष्ट्रीय खेलों के भाग के रूप में ; या
  - (ङ) पंचायत य्वा क्रीडा और खेल अभियान(पीवाईकेकेए) स्कीम के अधीन ;
- (यभ) "मान्यताप्राप्त खेलकूद निकाय" से अभिप्रेत है- (i) भारतीय ओलंपिक संगम ; (ii) भारतीय खेल प्राधिकरण ; (iii) केंद्रीय सरकार खेलकूद और युवा कार्य मंत्रालय तथा उसके सहबद्ध परिसंघों द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ ; (iv) केंद्रीय सरकार के खेलकूद और युवा कार्य मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेलकूद संवर्धन संगठन ; (v) अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संगम या अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक

संगम द्वारा मान्यताप्राप्त परिसंघ ; या (vi) कोई ऐसा परिसंघ या निकाय, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद को विनियमित करता है और भारत में खेल को विनियमित करने वाले सहबद्ध परिसंघ या निकाय ;

(यम) "धार्मिक स्थान" से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है, जो मुख्यत: धर्म या ध्यान या आध्यात्मिकता से संबंधित प्रार्थनाओं या उपासना के लिए है :

(यय) "स्थावर संपितत के संबंध में किराए पर देना" से किसी स्थावर संपितत में उक्त स्थावर संपितत के कब्जे या नियंत्रण के अंतरण सिहत या रिहत ऐसी किसी पहुंच, प्रवेश, अधिभोग, उपयोग को अनुज्ञात करना या अनुमित देना या ऐसी कोई सुविधा प्रदान करना और जिसके अंतर्गत स्थावर संपितत के संबंध में किराए पर देना, अनुज्ञापन या अन्य वैसे ही ठहराव भी हैं;

(ययक) ''भारतीय रिजर्व बैंक'' से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन स्थापित बैंक अभिप्रेत है ;

(ययख) "आवास या परिसर" से ऐसा कोई प्रक्षेत्र अभिप्रेत है, जो एकल आवासीय यूनिट से अधिक भवन या भवनों से मिलकर बना है ;

(ययग) ''ग्रामीण क्षेत्र'' से भू-राजस्व अभिलेखों में यथापरिभाषित किसी ग्राम में समाविष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है—

किसी नगरपालिक समिति, नगर निगम, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र समिति ; या कोई क्षेत्र, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाए .

(ययघ) "ज्येष्ठ अधिवक्ता" का वही अर्थ है, जो उसका अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 16 में है ;

(ययड.) "एकल आवासीय यूनिट" से ऐसी स्वतःपूर्ण आवासीय यूनिट अभिप्रेत है, जो एक कुटुंब के लिए आवासीय प्रयोजनों हेतु पूर्णतः या मुख्य रूप से उपयोग के लिए डिजाइन की गई है;

(ययच) "विशेष प्रवर्ग राज्य" से ऐसे राज्य अभिप्रेत होंगे, जो संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में विनिर्दिष्ट हैं ;

(ययछ) ''विनिर्दिष्ट संगठन'' से निम्नितिखित अभिप्रेत होगा,--

(क) कुंमाऊ मंडल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखंड सरकार का उपक्रम ; या

(ख) हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 2 में यथापरिभाषित 'समिति' या 'राज्य समिति' ;

(ययज) "स्टेज कैरिज" का वही अर्थ होगा, जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (40) में है ; "राज्य विद्य्त बोर्ड" से विद्य्त (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 44) की धारा 5 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है ; (यय़ज) ''राज्य पारेषण यूटिलिटी" का वही अर्थ होगा, जो उसका विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 के खंड (67) में है ; (ययट) ''राज्य परिवहन उपक्रम'' का वही अर्थ है, जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (42) में है ; "बाघ रिजर्व" का वही अर्थ है, जो उसका वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38ट के खंड (ड.) में है ; (ययड) "टूर आपरेटर" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो परिवहन के किसी ढंग द्वारा यात्रा की योजना बनाने, उनको तैयार करने, आयोजित करने, व्यवस्था करने (जिसमें आवास, दर्शनीय स्थलों के लिए या वैसी ही सेवाओं के लिए व्यवस्थाएं भी हो सकेंगी) में लगा हुआ है और जिसके अंतर्गत टूअरों को प्रचालित करने के कारबार में लगा ह्आ कोई व्यक्ति भी (ययढ) "व्यापार संघ" का वही अर्थ है जो उसका व्यापार संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) की धारा 2 के खंड (ज) में है ; (ययण) "जलयान" का वही अर्थ है जो उसका महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 2 के खंड (य) में है ; (ययत) "वन्यजीव अभ्यारण्य" का वही अर्थ है जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 2 के खंड (26) में है ; (ययथ) "प्राणी उद्यान" का वही अर्थ है जो उसका वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 2 के खंड (39) में है।

## 3. स्पष्टीकरण :---इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,--

- (i) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "अध्याय", "खंड" या "शीर्ष" शब्दों के प्रतिनिर्देश से, जहां कहीं वे आते हैं, वही अभिप्रेत होगा, जो सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम में क्रमश: "अध्याय", "खंड" या "शीर्ष" का है।
- (ii) सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित अध्याय, खंड, शीर्ष, समूह या सेवा कूट उपदर्शन के लिए हैं।
- 4. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 को प्रभावी होगी ।

[सं.सं. वा0कर/जी0एस0टी0/04/2017] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के॰ के॰ खण्डेलवाल, प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।

-----